

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 44 / 2025

दिनांक : 10.06.2025

परिवादी :- श्री विजय पाल पुत्र श्री श्यामलाल, बादशाहपुर, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, लक्सर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री विजय पाल पुत्र श्री श्यामलाल, बादशाहपुर, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं० LK11431513513, के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका मीटर खराब हो गया था, मीटर खराब होने से बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, जबकि घर में कोई भी नहीं रहता है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके खराब बिल को सही कराने की कृपा करें।

इस मंच द्वारा दिनांक 18.02.2025 को विद्युत वितरण खण्ड, (लक्सर) हरिद्वार के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय, भट्टीपुर में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री तेजपाल सिंह उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री प्रवेश कुमार के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री प्रवेश कुमार द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में तर्क प्रस्तुत किया गया। मंच द्वारा मौके पर विपक्षी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 211 दिनांकित 02.05.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता का बिल संशोधित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसारित कर दिया गया है। उपभोक्ता को वर्तमान में रु०. 12062 का बिल जमा करना है जोकि नियमानुसार सही है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 07.12.2018 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 11.09.2010 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 17.11.2020 को आरडीएफ आधार पर, दिनांक 10.01.2021 से दिनांक 31.01.2025 तक, लगातार 26 बिलिंग चक्रों हेतु, आईडीएफ आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 28.02.2025 को एमसी, दिनांक 06.03.2025 को एमयू तथा दिनांक 30.04.2025 को एनआर आधार पर बिल जारी किए गए हैं।

क्रमशः.....02

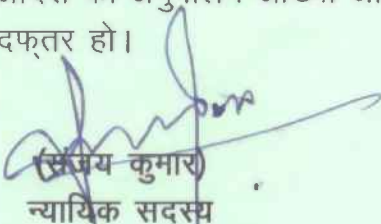
विपक्षी विभाग द्वारा, लगातार दो बिलिंग चक्रों से अधिक बार, अनंतिम बिल जारी करते हुए, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकी भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें।

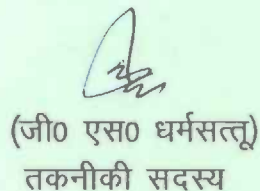
परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में स्थापित मीटर संख्या-80381910 के दोषपूर्ण हो जाने पर, दिनांक 03.02.2025 को, मीटर संख्या-जीयू1713258 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार उक्त नये मीटर संख्या-जीयू171258 पर, दिनांक 03.02.2025 से दिनांक 06.03.2025 तक, लगभग एक माह की अवधि में कुल 01 (1-0) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, परिवादी द्वारा दिनांक 03.01.2019 से दिनांक 11.09.2020 तक, लगभग 20.26 माह की अवधि में मात्र 16 (17-1) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 20.26 माह की अवधि में, मात्र 0.79 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि वर्तमान में की जा रही औसत विद्युत खपत की दर-01 यूनिट प्रति माह की तुलना में सही प्रतीत होती है। जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 11.09.2020 से दिनांक 31.01.2025 तक, लगभग 66.66 माह की अवधि हेतु जारी बिलों के सापेक्ष कुल 7014 यूनिट की विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए, विद्युत बिल परिवादी को जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा उक्त 66.66 माह की अवधि हेतु औसतन 105 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है जो कि उक्त 01 तथा 0.79 यूनिट प्रति माह की तुलना में क्रमशः 104.00 प्रतिशत तथा 131.91 प्रतिशत अधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है।

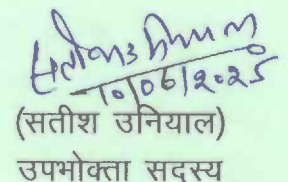
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को, दिनांक 17.11.2020 से दिनांक 30.04.2025 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 11.09.2020 से दिनांक 03.02.2025 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी 03 बिलिंग चक्रों में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 03.02.2025 से दिनांक 30.04.2025 तक की अवधि हेतु, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या-जीयू171258 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 17.11.2020 से दिनांक 30.04.2025 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 11.09.2020 से दिनांक 03.02.2025 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी 03 बिलिंग चक्रों में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 03.02.2025 से दिनांक 30.04.2025 तक की अवधि हेतु, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या-जीयू171258 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 49/2025

दिनांक : 10.06.2025

परिवादी :- श्री कपिल कुमार, ग्राम-नसीरपुर खुर्द, डेरा चांद चक, पो०-सुलतानपुर, लक्सर, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, लक्सर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री कपिल कुमार, ग्राम-नसीरपुर खुर्द, डेरा चांद चक, पो०-सुलतानपुर, लक्सर, हरिद्वार द्वारा विद्युत कनेक्शन संख्या-एलके90906146921, विद्युत कनेक्शन संख्या-एलके914एस1022158 एवं विद्युत कनेक्शन संख्या-एलके90905517073 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उक्त विद्युत कनेक्शन खेत की सिचाई के लिए हुए हैं जिनका बिल बहुत अधिक आ रहा है। पूर्व के सभी बिल उनके द्वारा जमा कर दिये गये थे। पहले भी उनके द्वारा विभाग में उक्त कनेक्शन के ज्यादा बिल होने के कारण शिकायत की गई थी। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 18.02.2025 को विद्युत वितरण खण्ड, (लक्सर) हरिद्वार के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय, भट्टीपुर में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री कपिल कुमार उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री प्रवेश कुमार के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री प्रवेश कुमार द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर विपक्षी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 213 दिनांकित 02.05.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि (1) संयोजन सं०-एलके90906146921 का बिल मीटर यूनिट पर निर्गत हो रहा है। जो कि नियमानुसार सही है। (2) संयोजन सं०-एलके914एस1022158 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता के मापक में वर्तमान रीडिंग 3906 कैंडब्लूएच प्रदर्शित हो रही है। क्योंकि पीटीडब्लू का बिल माह जून में निर्गत होगा तो उपभोक्ता का बिल माह जून में वास्तविक रीडिंग पर निर्गत कर बिल संशोधन कर दिया जायेगा। (3) संयोजन सं०-एलके90905517873 के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सम्भवतः संयोजन सं० गलत अंकित हो रहा है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। क्रमशः.....02

विद्युत संयोजन संख्या-एलके90906146921

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 05.00 एचपी विद्युत भार पर, दिनांक 03.07.2020 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 10.12.2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। पत्रावली पर उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, विपक्षी विभाग द्वारा, निम्नानुसार, विद्युत खपत के बिल परिवादी को जारी किए गए हैं:-

अवधि			कुल खपत (यूनिट)	औसत छमाही (लगभग यूनिट)
से	तक	माह (लगभग)		
03.07.2020	04.12.2021	17	15799	5576
04.12.2021	30.12.2022	12.86	11906	5555
30.12.2022	26.12.2023	12	9530	4765
26.12.2023	10.12.2024	11.46	11901	6231
30.12.2022	10.12.2024	23.46	21431	5481

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा की जा रही औसत विद्युत खपत की मात्रा, लगभग समान है जिससे विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, गतिमान मीटर संख्या-8801079 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, बिल जारी किए गए हैं फलस्वरूप उक्त संयोजन के सापेक्ष एमयू आधार पर जारी बिलों में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं है।

विद्युत कनेक्शन संख्या-एलके914एस1022158

परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 10.00 एचपी विद्युत भार पर, दिनांक 16.12.2001 से, श्री धर्मेन्द्र कुमार के नाम पर गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 10.01.2008 से दिनांक 16.05.2013 तक, लगातार 65 बार, एनआर आधार पर तथा दिनांक 10.12.2013 से दिनांक 30.04.2015 तक, एमयू आधार पर, शून्य खपत के बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात् 79 माह बाद दिनांक 07.12.2021 तथा दिनांक 15.06.2022 को एमयू, दिनांक 10.01.2023 को एनआर, दिनांक 07.06.2023 को एमयू तथा दिनांक 30.12.2023 से दिनांक 18.12.2024 तक एनआर आधार पर, बिल जारी किए गए हैं।

इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, निर्धारित बिलिंग चक्रों में बिल जारी न करते हुए तथा लगातार दो बिलिंग चक्रों से अधिक बार, अनंतिम बिल जारी करते हुए, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (2/4/7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को निर्धारित समयावधि पर वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें।

परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर दिनांक 08.01.2015 को मीटर संख्या-15446218 स्थापित किया गया है। उक्त मीटर संख्या-15446218 पर, दिनांक 08.01.2015 से दिनांक 30.12.2023 तक लगभग 107.73 माह की अवधि में, कुल 64153 (64153-0) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा 107.73 माह की अवधि में, 3574 यूनिट प्रति छमाही की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन के सापेक्ष स्वीकृत/अनुबंधित भार के परिपेक्ष्य में सही प्रतीत होता है।

विपक्षी विभाग द्वारा, आगामी बिलिंग चक्र में, मीटर संख्या-15446281 पर दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर, विद्युत बिल परिवादी को जारी किए जाने की आवश्यकता है।

विद्युत कनेक्शन संख्या-एलके90905517073

परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 05.00 एचपी विद्युत भार पर, दिनांक 25.05.2021 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 17.12.2024 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। पत्रावली पर उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, विपक्षी विभाग द्वारा, निम्नानुसार, विद्युत खपत के बिल परिवादी को जारी किए गए हैं:-

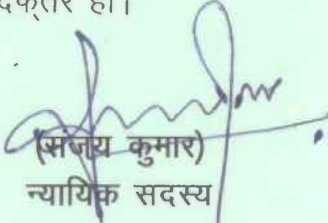
अवधि			कुल खपत (यूनिट)	औसत छमाही (लगभग यूनिट)
से	तक	माह (लगभग)		
25.05.2021	17.12.2021	6.73	9297	8289
17.12.2021	20.06.2024	30	18448	3690
20.06.2024	17.12.2024	6	10192	10992
25.05.2021	17.12.2024	43	37938	5294

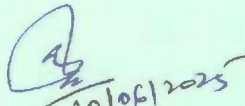
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा दिनांक 25.05.2021 से दिनांक 17.12.2024 तक, लगभग 43 माह की अवधि में, कुल 37938 यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 43 माह की अवधि में लगभग 5294 यूनिट प्रति छमाही की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि परिवादी द्वारा उक्त समान भार वाले विद्युत संयोजन संख्या-एलके90906146921 की तुलना में सही प्रतीत होता है। इस प्रकार परिवादी के प्रश्नगत संयोजन के सापेक्ष, विपक्षी विभाग द्वारा, संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या-8839075 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए गए हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है।

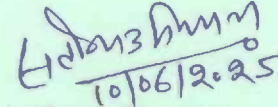
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, परिवादी के उपरोक्त विद्युत संयोजनों के सापेक्ष विपक्षी विभाग द्वारा वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए गए हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है। परिवादी यदि चाहे तो उक्त मीटरों की शुद्धता की जांच हेतु, चैक मीटर स्थापित किए जाने के संबंध में, विपक्षी विभाग को अपनी शिकायत प्रेषित करते हुए अपनी शंका का समाधान कर सकता है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


10/06/2025
(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


10/06/2025
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 115/2025

दिनांक : 16.06.2025

परिवादी :- श्री इंद्रजीत सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह, 181, शिव विहार कॉलोनी दादूपुर, गोविन्दपुर, बहादुराबाद, जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री इंद्रजीत सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह, 181, शिव विहार कॉलोनी दादूपुर, गोविन्दपुर, बहादुराबाद, जिला-हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-जेडब्लू71244138139, के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उन्होंने तीन वर्ष पहले लोड घटाने के लिये आवेदन किया था। जिसमें उन्होंने 5 कि०वा० से घटाकर 3 कि०वा० कराया था, जिसका रजिस्ट्रेशन नं० 527251221003 है, जिससे उनके बिजली के बिल में नया मीटर नं०-एसएस15892687 लगा था। लेकिन अभी उनका बिजली का बिल पुराने मीटर के हिसाब से ही बनता आ रहा है, जबकि पुराना मीटर कहीं और लगा दिया गया है। जिससे बिजली का बिल बहुत अधिक आ रहा है। तीन वर्ष पहले जब नया मीटर लगा था तब से आज तक विभाग का कोई भी कर्मचारी मीटर की रीडिंग लेने नहीं आया है। लेकिन बिल प्रत्येक माह बन जाता है। वह विद्युत विभाग के कार्यालय में लगभग तीन साल से चक्कर काट रहे हैं। जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हैं। उन्होंने घर पर सोलर प्लांट लगवा दिया है, चूंकि विद्युत विभाग द्वारा उनका बिल सही नहीं किया जा रहा है इसलिये उनका सोलर प्लांट भी नहीं चल पा रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए।

मंच के समक्ष परिवादी श्री इंद्रजीत सिंह को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से कोई भी लिखित जवाब मंच के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। विपक्षी विभाग को कई अवसर दिए जाने के उपरान्त, अंततः, मंच द्वारा एकपक्षीय निस्तारण किया जा रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 05.00/03.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 29.12.2013 से गतिमान है। परिवादी द्वारा, प्रेषित उक्त शिकायत, दिनांक 29.04.2025 को पंजीकृत किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, स्थगन हेतु प्रेषित पत्रों के संदर्भ में, लगातार चार अवसर (दिनांक 09.05.2025, 16.05.2025, 23.05.2025 तथा दिनांक 30.05.2025) दिए गए हैं। विपक्षी विभाग को, दिनांक 30.05.2025 तक का, अंतिम अवसर प्रदान

हरिद्वार क्रमशः.....02

किए जाने के उपरांत भी पुनः स्थगन हेतु पत्र संख्या-3716 दिनांक 29.05.2025 मंच को प्रेषित किया गया है। विपक्षी विभाग को जवाब प्रस्तुत किए जाने हेतु पर्याप्त समय प्रदान किए जाने के बावजूद भी विपक्षी विभाग द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत न किए जाने के परिणामस्वरूप अस्वीकार किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 23.02.2018 तक एमयू आधार पर, दिनांक 26.04.2018 से दिनांक 05.12.2018 तक, लगातार 05 बिलिंग चक्रों हेतु एनआर/आरडीएफ आधार पर, दिनांक 03.02.2019 को एमसी आधार पर, दिनांक 05.04.2019 से दिनांक 03.10.2019 तक एमयू आधार पर, दिनांक 25.06.2020 से दिनांक 29.12.2021 तक, लगातार 04 बिलिंग चक्रों हेतु आरडीएफ आधार पर, दिनांक 15.09.2023 से दिनांक 27.03.2024 तक लगातार, 6 बिलिंग चक्रों हेतु आईडीएफ आधार पर, दिनांक 24.04.2024 को एमयू आधार पर, दिनांक 31.05.2024 को एनआर आधार पर, दिनांक 17.06.2024 को एमयू आधार पर, दिनांक 02.08.2024 से दिनांक 01.03.2025 तक, लगातार 07 बिलिंग चक्रों हेतु एनआर आधार पर, दिनांक 19.03.2025 को एमयू तथा दिनांक 02.05.2025 को एनआर आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में बिल जारी न किए जाने तथा दो बिलिंग चक्रों से अधिक बार एनआर/आरडीएफ/आईडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी करते हुए, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (2/4/7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को निर्धारित समयावधि में वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें।

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री तथा मीटर सिलिंग प्रमाण पत्र संख्या-02/42 दिनांक 23.01.2022 के अनुसार, पूर्व में, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटरों पर निम्नानुसार, विद्युत खपत दर्ज पाई गई है:-

मीटर संख्या	अवधि			कुल खपत (यूनिट)	औसत मासिक (लगभग यूनिट)
	से	तक	माह (लगभग)		
32124230	19.12.2013	23.02.2018	50	12510	250
75175001	16.04.2018	23.01.2022	45.23	8220	182
एसएस 15892687	23.01.2022	02.05.2025	39.30	15094	384

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा, तदसमय गतिमान मीटर संख्या-32124230 के माध्यम से, दिनांक 19.12.2013 से दिनांक 23.02.20218 तक लगभग 50 माह की अवधि में कुल 12510 यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 50 माह की अवधि में, लगभग 250 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। इसी प्रकार परिवादी द्वारा, मीटर संख्या-75175001 के माध्यम से, दिनांक 16.04.2018 से दिनांक 23.01.2022 तक लगभग 45.23 माह की अवधि में कुल 8220 यूनिट की विद्युत खपत की गई है इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 45.23 माह की अवधि में, लगभग 182 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत की गई है। मीटर चेंज डीटेल तथा बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-75175001 पर, दिनांक 03.10.2019 से दिनांक 10.10.2019 तक, लगभग 0.23 (7 दिन) माह की अवधि में, कुल 60054 (66610-6556) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 0.23 माह की अवधि

क्रमशः.....03

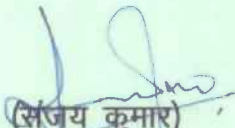
में, 257742 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि किसी भी दशा में, व्यावहारिक/तकनीकी दृष्टि से संभव नहीं है।

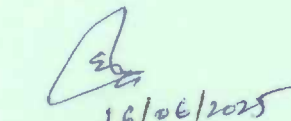
उपरोक्त से विदित होता है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-75175001 दिनांक 03.10.2019 से दिनांक 10.10.2019 तक की अवधि में दोषपूर्ण हो गया था। पत्रावली में उपलब्ध मीटर सिलिंग प्रमाण पत्र संख्या-02/42 दिनांक 23.01.2022 तथा मीटर चेंज डिटेल के अनुसार, विपक्षी विभाग द्वारा उक्त मीटर संख्या-75175001 को दिनांक 23.01.2022 को, मीटर संख्या-एसएस15892687 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त मीटर संख्या-एसएस15892687 पर, दिनांक 23.01.2022 से दिनांक 02.05.2025 तक, लगभग 39.30 माह की अवधि में, कुल 15094 (15094-0) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा 39.30 माह की अवधि में 384 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है।

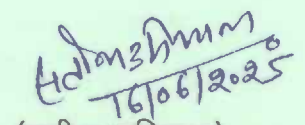
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को दिनांक 26.04.2018 से दिनांक 02.05.2025 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 23.02.2018 से दिनांक 16.04.2018 तक की अवधि हेतु, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या-32124230 पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर 03 एमयू बिलिंग चक्रों में दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर, दिनांक 16.04.2018 से दिनांक 23.01.2022 तक की अवधि हेतु, तदसमय परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-75175001 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत-8375 (8375-0) यूनिट के आधार पर तथा दिनांक 30.01.2022 से दिनांक 02.05.2025 तक लगभग 39.30 माह की अवधि में दर्ज कुल विद्युत खपत-15094 (15094-0) यूनिट के सापेक्ष दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 26.04.2018 से दिनांक 02.05.2025 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 23.02.2018 से दिनांक 16.04.2018 तक की अवधि हेतु, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या-32124230 पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर, 03 एमयू बिलिंग चक्रों में दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर, दिनांक 16.04.2018 से दिनांक 23.01.2022 तक की अवधि हेतु, तदसमय परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या-75175001 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत-8375 (8375-0) यूनिट के आधार पर तथा दिनांक 30.01.2022 से दिनांक 02.05.2025 तक लगभग 39.30 माह की अवधि में, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या-एसएस15892687 पर, दर्ज कुल विद्युत खपत-15094 (15094-0) यूनिट के सापेक्ष दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


16/06/2025
(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


16/06/2025
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 119/2025

दिनांक : 26.06.2025

परिवादी :- श्री जगपाल सिंह सैनी, निदेशक, फेरूपुर डिग्री कॉलेज, फेरूपुर, रामखेड़ा, पो०-धनपुरा, जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री जगपाल सिंह सैनी, निदेशक, फेरूपुर डिग्री कॉलेज, फेरूपुर, रामखेड़ा, पो०-धनपुरा, जिला-हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-जेडब्लू61441191342 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि फेरूपुर डिग्री कॉलेज, फेरूपुर (रामखेड़ा) हरिद्वार के भवन में स्वास्थ्य उपकेन्द्र चल रहा है। स्वास्थ्य उपकेन्द्र में बिना फेरूपुर डिग्री कॉलेज की स्वीकृति के उक्त कनेक्शन नम्बर अवैध रूप से लगवाया गया है। इस सम्बन्ध में एक शिकायती पत्र महाविद्यालय के अध्यक्ष ने दिनांक 30.09.2023 को अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण हरिद्वार के कार्यालय में प्राप्त कराया। इसके बाद महाविद्यालय के निदेशक ने पत्र दिनांक 28.11.2024 रजि० डाक द्वारा अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण हरिद्वार को प्रेषित किया जिस पर अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन ने अपने पत्रांक 5909/वि०वि०ख०/ज्वा०/ह०/ दिनांक 18.12.2024 के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड जगजीतपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। परन्तु उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण जगजीतपुर हरिद्वार ने न तो अवैध विद्युत कनेक्शन हटवाया और न ही अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० ज्वालापुर हरिद्वार के पत्र का संज्ञान लिया। महाविद्यालय के निदेशक ने पुनः इस सम्बन्ध में एक पत्र दिनांक 01.04.2025 को अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० विद्युत वितरण खण्ड ज्वालापुर हरिद्वार को रजि० डाक से प्रेषित किया परन्तु आज तक न तो कोई जांच की गयी और न ही अवैध विद्युत कनेक्शन को हटाने की कार्यवाही की। अतः मंच से अनुरोध है कि फेरूपुर डिग्री कॉलेज फेरूपुर (रामखेड़ा) हरिद्वार के भवन में चल रहे स्वास्थ्य उपकेन्द्र में लगाया गया अवैध विद्युत कनेक्शन हटवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्रांक संख्या 3196 दिनांकित 08.05.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड, जगजीतपुर के कार्यालय पत्रांक 282 दिनांक 08.05.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि "संयोजन संख्या-

क्रमशः.....02

जेडब्लू61441191342 जो कि उपस्वास्थ्य केन्द्र फेरूपुर में Superintendent CHC Bahadrabad Haridwar के अनुरोध पर दिनांक 26.11.2018 को निर्गत किया गया था एवं संयोजन उप स्वास्थ्य केन्द्र व स्वयं के भवन में चल रहा है जो कि एक सरकारी संयोजन है, शिकायतकर्ता द्वारा उक्त संयोजन को फेरूपुर डिग्री कॉलेज हरिद्वार के भवन में अवैध रूप से लगवाया गया कहा गया है लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा सम्बन्धित संयोजन फेरूपुर डिग्री कॉलेज के परिसर में अवैध रूप से चलने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही उनके द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्रों में भी दस्तावेज संलग्न किया गया है, इस कारण उन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए इस वाद में कोई मेरिट नहीं है। उपरोक्त के क्रम में अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्रांक सं० 3943 दिनांकित 09.06.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि दिनांक 30.05.2025 को मा० उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष सुनवाई में प्रतिवादी द्वारा पत्रावली प्रस्तुत की गयी पत्रावली में भूमि से सम्बन्धित जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं वे दस्तावेज फेरूपुर इण्टर कॉलेज हरिद्वार की भूमि से सम्बन्धित है, जबकि शिकायतकर्ता द्वारा संयोजन उप स्वास्थ्य केन्द्र फेरूपुर डिग्री कॉलेज हरिद्वार की बतायी गयी है, विभाग द्वारा विद्युत संयोजन उप स्वास्थ्य केन्द्र फेरूपुर के शासकीय भवन पर निर्गत किया गया है, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने से प्रतीत हो रहा है कि दोनो पक्षों के मध्य भूमि सम्बन्धित विवाद है, यदि प्रतिवादी द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र फेरूपुर के शासकीय भवन को कब्जामुक्त करवाने के उपरान्त उपखण्ड कार्यालय को सूचित करता है तो विभाग द्वारा सम्बन्धित विद्युत संयोजन विच्छेदित करने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

मंच के समक्ष परिवादी श्री जगपाल सिंह सैनी को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री रूपेश कुमार उपस्थित हुए।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रबंध समिति, इंटरमीडिएट कालेज फेरूपुर (रामखेड़ा), जिला हरिद्वार द्वारा, ज्ञानदायिनी शिक्षा प्रसार सभा, फेरूपुर (रामखेड़ा), जिला हरिद्वार, को डिग्री कालेज हेतु, भूमि लीज पर दी गई है। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से यह भी विदित होता है कि डिग्री कालेज फेरूपुर की भूमि/भवन में एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र संचालित है। प्रश्नगतगत स्वास्थ्य उपकेन्द्र के संचालन हेतु डिग्री कालेज फेरूपुर द्वारा जगह प्रदान की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर, विद्युत संयोजन संख्या-जेडब्लू61441191342, दिनांक 26.11.2018 को निर्गत किया गया है। परिवादी द्वारा, स्वास्थ्य उपकेन्द्र को प्रश्नगत परिसर से हटाए जाने या किसी भी प्रकार का विवाद का उल्लेख नहीं किया गया है। विदित होता है कि परिवादी प्रश्नगत स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु निर्गत विद्युत संयोजन को हटाते हुए स्वास्थ्य उपकेन्द्र को प्राप्त विद्युत सुविधा से वंचित रखे जाने की मंशा रखता है जबकि स्थानीय निवासियों की सुविधा हेतु संचालित प्रश्नगत स्वास्थ्य उपकेन्द्र के सुचारु संचालन हेतु मूलभूत सुविधा- जैसे विद्युत की आपूर्ति, आवश्यक है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, स्थानीय निवासियों की सुविधा हेतु, गतिमान प्रश्नगत स्वास्थ्य उपकेन्द्र में विद्यमान विद्युत संयोजन संख्या-जेडब्लू61441191342 को हटाया जाना, जनहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। परिवादी द्वारा प्रश्नगत स्वास्थ्य उपकेन्द्र को, डिग्री कालेज के परिसर से बेदखल किए जाने पर विपक्षी विभाग द्वारा प्रश्नगत विद्युत संयोजन को विच्छेदित किया जाना आवश्यक होगा। उपरोक्त परिपेक्ष्य में परिवादी का यह परिवाद, जनहित को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया जाना संभव नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है।

क्रमशः.....03

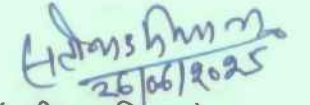
हरिद्वार 30/05/25

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 124/2025

दिनांक :17.06.2025

परिवादी :- श्री फूल कुमार पुत्र श्री रूपराम, ग्राम- डांडा जलालपुर, हल्लूमाजरा, भगवानपुर, रुड़की, जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, भगवानपुर, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

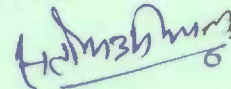
श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवाद के तथ्य - परिवादी श्री फूल कुमार पुत्र श्री रूपराम, ग्राम- डांडा जलालपुर, हल्लूमाजरा, भगवानपुर, रुड़की, जिला-हरिद्वार के द्वारा कागज सं० - 1 ता 6 प्रस्तुत कर कथन किया है कि विद्युत संयोजन संख्या-बीएच1डी111183537 का दिनांक 07.03.2025 को मीटर रीडिंग 10656 के आधार पर बिल बनाया गया। जब दिनांक 01.05.2025 को मीटर बदला गया, तो अंतिम वास्तविक रीडिंग 10607 थी। इसका मतलब है कि दिनांक 07.03.2025 के बिल में 49 यूनिट अधिक चार्ज किया गया था। दिनांक 01.05.2025 को रू०. 369.00 का गलत बिल जनरेट हुआ। दिनांक 10.05.2025 को रू०. 1742.00 का एक और गलत बिल बनाया गया। अतः मंच से अनुरोध है कि दोनों गलत बिलों की समीक्षा की जाए और उन्हें सही किया जाए। अतिरिक्त 49 यूनिटों के लिए अधिक वसूली गई राशि को अगले बिल में समायोजित किया जाए।

विपक्षी का जवाब - विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा कागज सं० - 8 ता 19 प्रस्तुत कर पत्र संख्या 2650 दिनांकित 29.05.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है शिकायतकर्ता श्री फूल कुमार पुत्र श्री रूप राम, निवासी 273, डांडाजलालपुर, हल्लूमाजरा, तहसील भगवानपुर, जिला-हरिद्वार, विद्युत संयोजन संख्या बीएच1डी111183537 स्वीकृत विद्युत भार 02 किलोवाट दिनांक 03.12.20216 से घरेलू विद्या में उर्जीकृत है जिसकी पुष्टि उपभोक्ता के खाता विवरण से भी होती है।

 क्रमशः.....02

शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत विद्युत संयोजन के सापेक्ष त्रुटिपूर्ण विद्युत बीजक के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 11.04.2025 को ऑन लाईन शिकायत संख्या 21104250511 के माध्यम से त्रुटिपूर्ण विद्युत मीटर के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज का गई थी। शिकायतकर्ता की शिकायत संख्या 21104250511 के क्रम में विद्युत परीक्षण खण्ड, रूड़की द्वारा दिनांक 01.05.2025 को शिकायतकर्ता का मीटर बदलकर नया मीटर संख्या जीयू504240 स्थापित किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 19.03.2025 को अन्तिम भुगतान के रूप में धनराशि रू० 813.00 का भुगतान किया गया है। आपके संज्ञान में लाना है कि ऑन लाईन मॉड्यूल के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपभोक्ता का माह 03/2025 का विद्युत बीजक, विद्युत खपत के अनुसार नियमानुसार बनाया गया है।

—विचारण:—

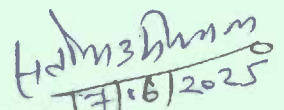
सुनवाई हेतु पत्रावली पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित। विपक्षी उपस्थित। विपक्षी को सुना गया। विपक्षी द्वारा अपने जवाब कागज सं० — 8 में कथन किया है कि विपक्षी ने परिवादी का बिल संशोधित कर परिवादी का मीटर भी बदल कर नया मीटर स्थापित कर दिया गया है। संशोधन के उपरान्त विपक्षी का परिवादी की ओर वर्तमान में धनराशि रुपये 410/- भुगतान हेतु लंबित है। उक्त पर परिवादी की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है तदनुसार परिवादी का निस्तारण किया जाता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग परिवादी का शिकायत का विपक्षी द्वारा समाधान कर दिया गया है। तदनुसार निस्तारण किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्त)
तकनीकी सदस्य


(सतीश चनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में प्रत्यावेदन कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 125/2025

दिनांक : 18.06.2025

श्री निर्भय सिंह वर्मा (मृतक उपभोक्ता) द्वारा उत्तराधिकारी श्री दीपक वर्मा,
परिवादी :- श्री दीपक वर्मा पुत्र स्व० श्री निर्भय सिंह वर्मा, निवासी-837, गणेश चौक, गणेशपुर, रुड़की,
जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, रुड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

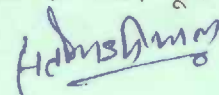
तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री दीपक वर्मा पुत्र स्व० श्री निर्भय सिंह वर्मा, निवासी-837, गणेश चौक, गणेशपुर, रुड़की, जिला-हरिद्वार के द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-6860125110115, के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि परिवादी के पिता ने अपने जीवनकाल में अपने घर के परिसर में ही स्थित गैरेज में परिवादी व परिवार की आजीविका के लिये दांतों का उपचार सेवा कार्य करने हेतु, परिवादी जो कि दन्त चिकित्सक है, के क्लीनिक हेतु एक विद्युत कनेक्शन उक्त विपक्षी से लिया हुआ है जिसके बिलों की अदायगी अपने जीवनकाल में परिवादी के पिता द्वारा व उनकी मृत्यु उपरान्त परिवादी द्वारा नियमित रूप से की जाती रही है। परिवादी के पिता ने अपने जीवनकाल में उक्त कनेक्शन की बाबत दिनांक 23.04.2019 ई० को पुस्तक सं०-जी-036100 रसीद सं०-29 के तहत रु०. 522.00 व दिनांक 27.05.2019 ई० को पुस्तक सं०-जी-033577 रसीद सं०-09 के तहत अंकन रु०. 1237.00 व दिनांक 25.06.2019 ई० को पुस्तक सं०-जी-033602 रसीद सं० 36 के तहत अंकन रु०. 1173.00 जमा किये थे। दिनांक 07.09.2019 ई० को उक्त कनेक्शन का मीटर अचानक जल गया जिसकी सूचना परिवादी के पिता द्वारा तत्काल विपक्षी को दी गयी और विपक्षी से जला हुआ मीटर शीघ्र बदलने की मांग की गयी जिस पर करीब 25 दिन बाद विपक्षी ने उक्त जला हुआ मीटर पुस्तक सं०-857 क्रम सं०-08 मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र दिनांकित 03.10.2019 ई० के तहत बदल दिया। सीलिंग प्रमाण पत्र में भी परिवादी के पिता की शिकायत के आधार पर मीटर जलने के कारण नया मीटर लगाने का उल्लेख किया गया जिसमें मीटर में कोई अन्य अनियमितता मीटर बदलने के दौरान नहीं पायी गयी। उक्त जला हुआ मीटर बदलवाने के लिये परिवादी के पिता ने दिनांक 23.09.2019 ई० को जब विपक्षी के सहायक अभियन्ता कार्यालय में सम्पर्क किया था तो विपक्षी के सहायक अभियन्ता कार्यालय द्वारा बताया गया कि उक्त सन्दर्भित विद्युत कनेक्शन की बाबत दिनांक 28.07.2019 ई० से दिनांक 22.08.2019 ई० तक का ऑनलाईन बिल रु०. 55800.00 गलत रूप से बताया गया जिसमें गलत रूप से 9190 यूनिट बिजली खर्च होना दर्शा दी गयी। चूंकि उक्त कनेक्शन

 क्रमशः.....02

एक गैराज में है और उक्त कनेक्शन की बाबत सामान्य बिल रू०. 500.00 से रू०. 1300 के मध्य आता रहा है जिससे स्पष्ट है कि मीटर में तकनीकी खराबी के कारण और मीटर जल जाने के कारण बिना उपभोग किये 9190 यूनिट गलत रूप से दर्शा दी गयी जिसकी शिकायत परिवादी के पिता ने विपक्षी से दिनांक 30.09.2019 ई० को की और उक्त गलत बिल ठीक कराने की मांग की। विपक्षी ने अपने पत्र दिनांकित 26.11.2019 ई० पत्रांक 4696 के तहत उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण खण्ड प्रथम रुड़की को निर्देशित किया कि विद्युत कनेक्शन संख्या उपरोक्त का मीटर माह 10/2019 को जल जाने के कारण बदला गया था मीटर बदलने के बाद उपभोक्ता को विद्युत बीजक धनराशि अंकन रू०. 60249.00 का प्रेषित किया गया है। एआरपीडीआरपी बिलिंग सिस्टम का अवलोकन करने पर संज्ञान में आया है कि उक्त विद्युत बीजक सही नहीं है जिसके लिये उपखण्ड अधिकारी उपरोक्त को उक्त गलत बीजक संशोधित कर परिवादी को प्रेषित करने के लिये निर्देशित किया गया लेकिन विपक्षी के उपखण्ड अधिकारी ने विपक्षी के उक्त निर्देश के बावजूद उक्त गलत बीजक संशोधित नहीं किया उल्टे जब विपक्षी ने उपखण्ड अधिकारी उपरोक्त से उक्त बीजक संशोधित करने की मांग की तो उसने जला हुआ मीटर बदलने के लिये उक्त गलत बीजक के बाबत रू०. 25000.00 पार्ट पैमेंट के रूप में जमा करने के लिए दबाव डाला और उक्त पार्ट पैमेंट जमा न करने की स्थिति में जला हुआ मीटर न बदलने और परिवादी का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित करने की धमकी दी जिस पर मजबूर होकर परिवादी के पिता को उक्त गलत बीजक की बाबत दिनांक 30.09.2019 ई० को पुस्तक सं०-जी-037286 रसीद सं० 27 के तहत अंकन रू०. 25000.00 की धनराशि विपक्षी के यहां जमा करानी पड़ी, तब जाकर विपक्षी ने दिनांक 03.10.2019 ई० को उक्त जला हुआ मीटर बदला लेकिन उक्त गलत बीजक आज तक भी संशोधित नहीं किया है जो विपक्षी की घोर लापरवाही एवं सेवा में कमी का प्रमाण है। परिवादी के पिता ने उक्त बाबत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हरिद्वार के समक्ष दिनांक 06.12.2019 को शिकायत सं०-381/2019 के तहत निर्भय सिंह वर्मा बनाम यूपीसीएल नाम से एक परिवाद योजित किया जिसमें उभय पक्षों को सुनने के बाद माननीय जिला आयोग ने अपने निर्णय दिनांकित 29.06.2021 के तहत प्रश्नगत बिल निरस्त कर दिये और विपक्षी को आदेश की तिथि से एक माह के भीतर परिवादी के पिता के नाम नया बिल जारी करने और वाद व्यय एवं अधिवक्ता फीस के रूप में रू०. 10000.00 व मानसिक शारीरिक आर्थिक सन्ताप की एवज में अंकन रू०. 5000.00 अदा करने का निर्देश दिया। विपक्षी ने उक्त निर्णय आदेश से असंतुष्ट होकर माननीय राज्य उपभोक्ता आयोग, देहरादून के समक्ष प्रथम अपील सं०-130/2021 यूपीसीएल बनाम निर्भय सिंह वर्मा नाम से योजित की लेकिन उक्त अपील के विचारण के दौरान ही परिवादी के पिता श्री निर्भय सिंह वर्मा की मृत्यु हो गयी और विधि अनुसार परिवादी उक्त अपील में अपने पिता के स्थान पर पक्षकार बन गया तदोपरान्त उभय पक्षों की सुनवाई के बाद माननीय राज्य आयोग ने अपने निर्णय दिनांकित 23.04.2025 के तहत सन्दर्भित अपील स्वीकार कर परिवादी को माननीय मंच के समक्ष आदेश तिथि से एक माह के अन्दर परिवाद योजित करने का अवसर प्रदान किया है जिसके तहत यह परिवाद योजित किया जा रहा है। विपक्षी के उक्त कार्यव्यवहार के कारण परिवादी व उसके परिवार को घोर मानसिक, शारीरिक व आर्थिक सन्ताप के दौर से गुजरना पड़ रहा है जिसका जिम्मेदार विपक्षी है। परिवादी ने उक्त परिवाद उक्त गलत बीजक को निरस्त करने और वास्तविक विद्युत उपभोग बिल का संशोधित बीजक तैयार कर प्रेषित करने की मांग के साथ योजित किया है और परिवादी उक्त कनेक्शन की बाबत तत्कालिक बिल जमा करने को तैयार है। अतः मंच से अनुरोध है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत कनेक्शन सं०-6860125110115 की बाबत भेजा गया गलत बिल रू०. 60249.00 व उसके बाद के अधिभार के साथ भेजे गये बिलों को निरस्त किया जाये और परिवादी के पिता द्वारा




Handwritten signature क्रमशः.....03

उक्त गलत बिल की बाबत की गयी पार्ट पैमेंट वसूली अंकन रु०. 25000.00 का समायोजन उक्त कनेक्शन के अगले बिलो में किया जाये तथा उक्त कनेक्शन की बाबत वास्तविक विद्युत उपभोग बिल संशोधित कर जारी किया जाये।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 112 दिनांकित 29.05.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी का उपरोक्त विद्युत संयोजन (6860125110115) वाणिज्य प्रकृति का संयोजन है। दिनांक 22.08.2019 को, टी०डी०एस० मीटर रीडर द्वारा, 20705 KWH दर्शायी गई थी। जिसकी शिकायत परिवादी द्वारा करने पर विभाग के कर्मचारी परिवादी के प्रतिष्ठान पर जांच हेतु गये। जिसमें पाया गया परिवादी के उपरोक्त संयोजन पर क्षमता से अधिक विद्युत भार का प्रयोग किया जा रहा था। जिस कारण परिसर पर लगा विद्युत मीटर द्वारा दर्शायी गई रीडिंग (20705) के अनुसार 9190 यूनिट का बिल, दिनांक 20.08.2019 को रु० 55800.00 का निर्गत किया गया। कुल बिल रु० 55800.00 में से दिनांक 30.09.2019 को, रु० 25000.00, उपभोक्ता द्वारा पार्ट पेमेंट किया गया। जिसके उपरान्त दिनांक 03.10.2019 को उपभोक्ता का मीटर चेंज किया गया जिसके उपरान्त दिनांक 20.10.2019 को मीटर चेंज की रिपोर्ट आई०डी०एफ० के आधार पर (औसत यूनिट 4413+नये मीटर की यूनिट 65 = 4478 का बिल रु० 27916.00 का प्रेषित किया गया) दिनांक 20.10.2019 को उपभोक्ता का कुल बकाया बिल रु० 58716.00 था। जिसके उपरान्त आज दिनांक तक नियमित बिल निर्गत किये गये। उपभोक्ता द्वारा बिल जमा न करने के कारण कुल विद्युत बकाया रु० 223946.00 है। जिसके उपरान्त अद्योहस्ताक्षरी द्वारा उपभोक्ता की हिस्ट्री का अवलोकन करने पर प्रतित हुआ कि उपभोक्ता की खपत माह 08/2019 एवं माह 10/2019 निर्गत बिल के सापेक्ष कम थी। जिसके आधार पर उक्त बिल को संशोधित कर रु० 86637.00 खण्ड कार्यालय को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्रीगोपाल नारसन तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री आकाश सिंह उपस्थित हुए।

मंच द्वारा मौके पर उपस्थित पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 04.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 20.12.2002 से, श्री निर्मल सिंह वर्मा के नाम पर गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 25.05.2025 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 22.08.2019 तथा दिनांक 20.10.2019 को जारी बिलों में दर्शायी गई विद्युत खपत, क्रमशः 9190 यूनिट तथा 4478 यूनिट को, पूर्व में जारी बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत की तुलना में अत्यधिक बताते हुए परिवादी द्वारा विवादित ठहराए गया है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, निम्नानुसार, विद्युत खपत के बिल परिवादी को जारी किए गए हैं:-

अवधि			कुल खपत (यूनिट)	औसत मासिक (लगभग यूनिट)
से	तक	माह (लगभग)		
22.07.2017	04.07.2018	11.40	1697	149
04.07.2018	28.07.2019	12.80	1514	118
28.07.2019	22.08.2019	0.80	9190	11488
22.08.2019	03.10.2019	1.36	4441	3243

निर्णय 3/11/25

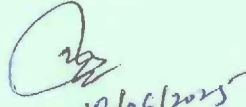
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 28.07.2019 तथा दिनांक 22.08.2019 को जारी बिलों में दर्शायी गई औसत विद्युत खपत (11488 तथा 3243 यूनिट), पूर्व में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत 149 यूनिट की तुलना में क्रमशः 7610.07 प्रतिशत तथा 2076.51 प्रतिशत अधिक है जो कि व्यावहारिक तथा तकनीकी दृष्टि से सही नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, परिवादी द्वारा, दिनांक 03.10.2019 के पश्चात, अधिकतम 321 यूनिट प्रति माह की औसत दर से, मात्र एक बार, दिनांक 22.12.2023 से दिनांक 30.01.2024 तक की अवधि में दर्ज की गई है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 112 दिनांक 29.05.2025 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि दिनांक 22.08.2019 तथा 20.10.2019 को जारी बिलों को निरस्त करते हुए उक्त अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी 03 बिलिंग चक्रों में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित किया जाना प्रस्तावित है जिस पर परिवादी द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है।

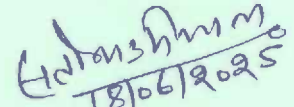
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 22.08.2019 तथा 20.10.2019 को जारी बिलों को निरस्त करते हुए उक्त अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी 03 बिलिंग चक्रों में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर, प्रस्तावित बिल संशोधन के अनुसार, परिवादी को संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 22.08.2019 तथा 20.10.2019 को जारी बिलों को निरस्त करते हुए उक्त अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी 03 बिलिंग चक्रों में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर, प्रस्तावित बिल संशोधन के अनुसार, परिवादी को संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


18/06/2025
(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


18/06/2025
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 126/2025

दिनांक : 17.06.2025

परिवादी :- श्री बशीर पुत्र स्व0 इशाक उर्फ शाखा, निवासी बसोंचन्दपुर, गुज्जर बस्ती, गैंडीखाता,
जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू

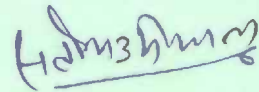
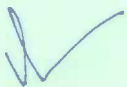
तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी के तथ्य — श्री बशीर पुत्र स्व0 इशाक उर्फ शाखा, निवासी बसोंचन्दपुर, गुज्जर बस्ती, गैंडीखाता, जिला-हरिद्वार के द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-6911337835271 के सन्दर्भ में कागज सं0 - 1 ता 2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि परिवादी द्वारा यह कनेक्शन पिछले कुछ समय से समस्त औपचारिकता पूर्ण करते हुए लिया था। जिसका मैं समय समय पर बिल का भुगतान करता चला आ रहा हूं। दिनांक 14.05.2025 को समय लगभग 1.00 बजे पूर्वाह्न स्थानीय जुनियर इंजीनियर श्री निवेश वर्मा सहकर्मियों के साथ आये और बिना कोई कारण बताये तथा न ही कोई लिखित सूचना दिये बिना, उनके संयोजन में लगे मीटर को लेकर चले गये। दूरभाष के माध्यम से हुई बात पर उप विभागीय अधिकारी द्वारा बताया गया की वन विभाग आपके संयोजन को हटाने के लिए कहा गया। उनके द्वारा आसपास के गांव वासियों की तरह संयोजन लेने के लिए दौरान समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराये गये थे। वन विभाग द्वारा भी उनको लिखित में दिया गया था उसके उपरान्त संयोजन प्राप्त होने के बाद भी एक वर्ष पूर्व से विधिक रूप से औपचारिकता पूर्ण करते हुए प्रयोग कर रहा है। संवैधानिक अधिकार के रूप में



क्रमशः.....02

सामान्य आवश्यकता के रूप में विद्युत प्रयोग करना उनका अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 व 15 में निहित है। उनका पुरा गांव वन क्षेत्र है जिसमें उन्हें वनाधिकार अधिनियम 2006 में रहने और वन समिति में किया गया है। वनाधिकार अधिनियम कानून के प्रावधान्तर्गत धारा 4(5) के तहत वनो पर आश्रित समुदाय में संचालित सुविधाओं को हटाने व बेदखली जैसी कार्यवाही तब तक नहीं की जा सकती जबतक दावों का सत्यापन प्रक्रिया पुरी नहीं होती है। अतः मंच से अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से उनका संयोजन का मीटर लगाते हुए विद्युत संचालित कराने की कृपा करें।

विपक्षी का जवाब — विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा कागज सं० - 4 ता 7 प्रस्तुत कर पत्र संख्या 282 दिनांकित 22.05.2025 में कथन किया है कि उपभोक्ता द्वारा जो वाद दायर किया गया है उसके अनुपालन में मंच के संज्ञान में लाना है कि संयोजन नं० 6911337835271 में वन विभाग के द्वारा कार्यालय पत्रांक नं०- 431/21-5 हरिद्वार दिनांक 03.05.2025 से अवगत कराया गया है, कि इनके द्वारा जो दस्तावेज लगाये गये हैं, वह पूर्णतया कूटरचित प्रमाण पत्रों के आधार पर लिये गये हैं एवं उनके द्वारा अवगत कराया गया है, कि गुज्जर पुर्नवास सबलगढ़ यूनिट में आवंटन प्लॉट सं० 01 से 157 तक ही है।

परिवादी प्रतिउत्तर — परिवादी द्वारा अपना प्रतिउत्तर कागज सं० - 8 ता 28 प्रस्तुत किया गया। विपक्षी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

—विचारण:—

उभय पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

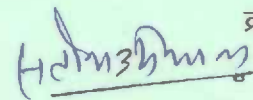
1. विचारणीय बिन्दु ये है कि विपक्षी द्वारा परिवादी का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया जाना विधि सम्मत है? पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन बशीर पुत्र ईशाक निवासी — बलोचंदपुर गुज्जर बस्ती गैंडीखाता हरिद्वार

क्रमशः.....03

के नाम पर संयोजित चला आता है, जिसके सम्बंध में परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षी ने दिनांक - 14.05.2025 को बिना कोई कारण बताए, बिना किसी सूचना के कनेक्शन को विच्छेदित कर दिया है तथा जुनियर इंजिनियर निवेश वर्मा द्वारा मौके से मीटर भी हटा दिया है। विपक्षी विभाग ने अपने जवाब में उक्त कथन का खण्डन नहीं किया है तथा अपने जवाब में लिखा है कि वन विभाग के पत्रांक संख्या 471/21-5 हरिद्वार दिनांकित - 03.05.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि परिवादी द्वारा कनेक्शन लेने हेतु जो दस्तावेज लगाये गये हैं वह पूर्णतः कूटरचित हैं। अर्थात् विपक्षी विभाग ने वन विभाग के पत्र पर कनेक्शन विच्छेदित किया है जिसकी कोई जांच व प्रमाणिकता नहीं है।

2. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग विनियम 2020 द्वारा निर्धारित विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधान अध्याय 3.3.2(4) के अनुसार वांछित प्रपत्र विपक्षी विभाग द्वारा प्राप्त किये जाने के उपरांत ही प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन परिवादी को जारी किया गया है। यदि परिवादी द्वारा उक्त कनेक्शन को प्राप्त करते समय कोई कूटरचित प्रपत्र दाखिल किया जाना आशंकित है तो उस प्रपत्र की प्रकृति व जांच प्रक्रिया का पालन किए बगैर सम्बंधित प्रपत्रों को बिना किसी आधार पर कूटरचित घोषित नहीं किया जा सकता है। प्रश्नगत मामले में कथित कूटरचित प्रपत्र का विवरण तक प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही प्रश्नगत संयोजन से सम्बंधित आवेदन प्रपत्र मंच के समक्ष प्रस्तुत किया गये हैं। ऐसा कोई साक्ष्य भी विपक्षी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उसके द्वारा कथित कूटरचना की बाबत कोई **FIR** परिवादी के विरुद्ध दर्ज कराई गई हो अर्थात् परिवादी पर प्रपत्रों की कूटरचना किये जाने का आरोप सिद्ध नहीं है कनेक्शन विच्छेदित किया जाना आधारहीन एवं तथ्य विहीन है।
3. यहकि प्रावधान 3.3.2(4)(i)(e) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वन विभाग की सहमति के आधार पर ही प्रश्नगत कनेक्शन विपक्षी द्वारा जारी किया जा सकता है। जिसके सम्बंध में विपक्षी की ओर से कोई कथन नहीं किया गया है। अर्थात् विपक्षी विभाग ने वन विभाग की सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही प्रश्नगत कनेक्शन जारी किया गया है।





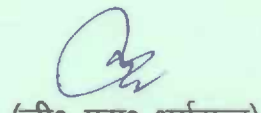
क्रमशः.....04

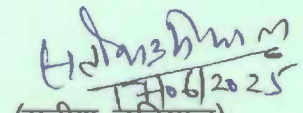
4. यहकि परिवादी की और से प्रति शपथपत्र कागज सं० - 8,9,10,11,12,19 एवं 26 मय संलग्नक 27,28 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवादी के कब्जे वाली वन भूमि में परिवादी के अधिकारों की मान्यता एवं सत्यापन प्रक्रिया अपूर्ण चली आती है, तब तक परिवादी की और बिजली व अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है।
5. उपरोक्त के दृष्टिगत विपक्षी विभाग द्वारा बिना किसी विधिसम्बन्त अधिकार व आधार के प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कर मीटर का हटाया जाना विधि विरुद्ध कृत्य है। विपक्षी के इस कृत्य से परिवादी के उपभोक्ता अधिकारों का हनन किया जाना स्पष्ट है। परिवादी के आवास पर विद्युत मीटर को पुनः संशोधित कर विद्युत कनेक्शन का पुनः संयोजन किया जाना विधि एवं न्याय की दृष्टि से मंच की राय में न्याय संगत है। तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवादी के विद्युत कनेक्शन सं०-691/1337/835271 को संयोजित करते हुए विद्युत मीटर परिवादी के परिसर पर पुनः संस्थापित करे। आदेश अनुपालन अविलम्ब किया जाये। अनुपालन आख्या नियमानुसार मंच के समक्ष प्रस्तुत हो। पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में प्रत्यावेदन कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 127 / 2025

दिनांक : 17.06.2025

परिवादी :- श्रीमती बानो पुत्री श्री हुसन बीबी, निवासी बसोंचन्दपुर, गुज्जर बस्ती, गैंडीखाता, जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवाद के तथ्य — परिवादी बानो पुत्री श्री हुसन बीबी, निवासी बसोंचन्दपुर, गुज्जर बस्ती, गैंडीखाता, जिला-हरिद्वार के द्वारा विद्युत संयोजन संख्या — 6911337655298 के सन्दर्भ में कागज सं0— 1 ता 2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि परिवादी द्वारा यह कनेक्शन पिछले कुछ समय से समस्त औपचारिकता पूर्ण करते हुए लिया था। जिसका मैं समय समय पर बिल को भुगतान करता चला आ रही हूं। दिनांक 14.05.2025 को समय लगभग 1.00 बजे पूर्वाह्न स्थानीय जुनियर इंजीनियर श्री निवेश वर्मा द्वारा सहकर्मियों के साथ आये और बिना कोई कारण बताये तथा न ही कोई लिखित सूचना दिये बिना मेरे संयोजन में लगे मीटर को लेकर चले गये। दूरभाष के माध्यम से हुई बात पर उप विभागीय अधिकारी द्वारा बताया गया की वन विभाग आपके संयोजन को हटाने के लिए कहा गया। उनके द्वारा आसपास के गांव वासियों की तरह संयोजन लेने के लिए दौरान समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराये गये थे। वन विभाग द्वारा भी उनको लिखित में दिया गया था उसके उपरान्त संयोजन प्राप्त होने के बाद भी एक वर्ष पूर्व से विधिक रूप से औपचारिकता पूर्ण करते हुए प्रयोग कर रही है। संवैधानिक अधिकार के रूप में सामान्य आवश्यकता के रूप में विद्युत प्रयोग करना उनका अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 व 15 में निहित है। उनका पुरा गांव वन क्षेत्र है जिसमें उन्हें वनाधिकार अधिनियम 2006 में रहने और वन समिति में किया गया है। वनाधिकार अधिनियम कानून के प्रावधान्तर्गत धारा 4(5) के तहत वनों पर आश्रित समुदाय में संचालित सुविधाओं को हटाने व बेदखली जैसी कार्यवाही तब तक

क्रमशः.....02

नहीं की जा सकती जबतक दावों का सत्यापन प्रक्रिया पुरी नहीं होती है। अतः मंच से अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से उनका संयोजन का मीटर लगाते हुए विद्युत संचालित कराने की कृपा करें।

विपक्षी का जवाब — विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 283 दिनांकित 22.05.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता द्वारा जो वाद दायर किया गया है उसके अनुपालन में मंच के संज्ञान में लाना है कि संयोजन नं० 6911337655298 में वन विभाग के द्वारा कार्यालय पत्रांक नं०-431/21-5 हरिद्वार दिनांक 03.05.2025 से अवगत कराया गया है, कि इनके द्वारा जो दस्तावेज लगाये गये हैं, वह पूर्णतया कूटरचित प्रमाण पत्रों के आधार पर लिये गये हैं एवं उनके द्वारा अवगत कराया गया है, कि गुज्जर पुर्नवास सबलगढ़ यूनिट में आवंटन प्लॉट सं० 01 से 157 तक ही है।

परिवादी प्रतिउत्तर — परिवादी द्वारा अपना प्रतिउत्तर कागज सं० — 8 ता 28 प्रस्तुत किया गया। विपक्षी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

—:विचारण:-

उभय पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

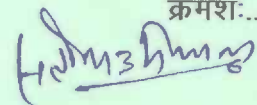
1. विचारणीय बिन्दु ये है कि विपक्षी द्वारा परिवादी का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया जाना विधि सम्मत है? पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन बानो पुत्री श्री हुसन बीबी, निवासी बसोंचन्दपुर, गुज्जर बस्ती, गैडीखाता, जिला-हरिद्वार के नाम पर संयोजित चला आता है, जिसके सम्बंध में परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षी ने दिनांक — 14.05.2025 को बिना कोई कारण बताए, बिना किसी सूचना के कनेक्शन को विच्छेदित कर दिया है तथा जुनियर इंजिनियर निवेश वर्मा द्वारा मौके से मीटर भी हटा दिया है। विपक्षी विभाग ने अपने जवाब में उक्त कथन का खण्डन नहीं किया है तथा अपने जवाब में लिखा है कि वन विभाग के पत्रांक संख्या 471/21-5 हरिद्वार दिनांकित — 03.05.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि परिवादी

क्रमशः.....03

द्वारा कनेक्शन लेने हेतु जो दस्तावेज लगाये गये हैं वह पूर्णतः कूटरचित हैं। अर्थात् विपक्षी विभाग ने वन विभाग के पत्र पर कनेक्शन विच्छेदित किया है जिसकी कोई जांच व प्रमाणिकता नहीं है।

2. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग विनियम 2020 द्वारा निर्धारित विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधान अध्याय 3.3.2(4) के अनुसार वांछित प्रपत्र विपक्षी विभाग द्वारा प्राप्त किये जाने के उपरांत ही प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन परिवादी को जारी किया गया है। यदि परिवादी द्वारा उक्त कनेक्शन को प्राप्त करते समय कोई कूटरचित प्रपत्र दाखिल किया जाना आशंकित है तो उस प्रपत्र की प्रकृति व जांच प्रक्रिया का पालन किए बगैर सम्बंधित प्रपत्रों को बिना किसी आधार पर कूटरचित घोषित नहीं किया जा सकता है। प्रश्नगत मामले में कथित कूटरचित प्रपत्र का विवरण तक प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही प्रश्नगत संयोजन से सम्बंधित आवेदन प्रपत्र मंच के समक्ष प्रस्तुत किया गये हैं। ऐसा कोई साक्ष्य भी विपक्षी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उसके द्वारा कथित कूटरचना की बाबत कोई **FIR** परिवादी के विरुद्ध दर्ज कराई गई हो अर्थात् परिवादी पर प्रपत्रों की कूटरचना किये जाने का आरोप सिद्ध नहीं है कनेक्शन विच्छेदित किया जाना आधारहीन एवं तथ्य विहीन है।
3. यहकि प्रावधान 3.3.2(4)(i)(e) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वन विभाग की सहमति के आधार पर ही प्रश्नगत कनेक्शन विपक्षी द्वारा जारी किया जा सकता है। जिसके सम्बंध में विपक्षी की ओर से कोई कथन नहीं किया गया है। अर्थात् विपक्षी विभाग ने वन विभाग की सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही प्रश्नगत कनेक्शन जारी किया गया है।
4. यहकि परिवादी की ओर से प्रति शपथपत्र कागज सं० - 8,9,10,11,12,19 एवं 26 मय संलग्नक 27,28 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवादी के कब्जे वाली वन भूमि में परिवादी के अधिकारों की मान्यता एवं सत्यापन प्रक्रिया अपूर्ण चली आती है, तब तक परिवादी की ओर बिजली व अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है।
5. उपरोक्त के दृष्टिगत विपक्षी विभाग द्वारा बिना किसी विधिसम्बन्त अधिकार व आधार के प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कर मीटर का हटाया जाना विधि विरुद्ध कृत्य है। विपक्षी के इस कृत्य से परिवादी के उपभोक्ता अधिकारों का हनन किया जाना स्पष्ट है।

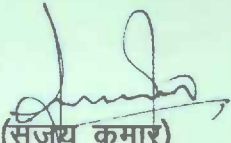




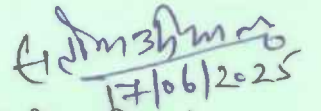
परिवादी के आवास पर विद्युत मीटर को पुनः संशोधित कर विद्युत कनेक्शन का पुनः संयोजन किया जाना विधि एवं न्याय की दृष्टि से मंच की राय में न्याय संगत है। तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवादी के विद्युत कनेक्शन सं०-691/1337/655298 को संयोजित करते हुए विद्युत मीटर परिवादी के परिसर पर पुनः संस्थापित करे। आदेश अनुपालन अविलम्ब किया जाये। अनुपालन आख्या नियमानुसार मंच के समक्ष प्रस्तुत हो। पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।


(सजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में प्रत्यावेदन कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 128/2025

दिनांक :17.06.2025

परिवादी :- श्रीमती खातून पत्नी श्री यामीन, निवासी बसोंचन्दपुर, गुज्जर बस्ती, गैंडीखाता, जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवाद का तथ्य - परिवादी श्रीमती खातून पत्नी श्री यामीन, निवासी बसोंचन्दपुर, गुज्जर बस्ती, गैंडीखाता, जिला-हरिद्वार के द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-6911337544068 के सन्दर्भ में कागज सं० - 1 ता 2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि परिवादी द्वारा यह कनेक्शन पिछले कुछ समय से समस्त औपचारिकता पूर्ण करते हुए लिया था। जिसका मैं समय समय पर बिल को भुगतान करता चला आ रहा हूं। दिनांक 14.05.2025 को समय लगभग 1.00 बजे पूर्वाहन स्थानीय जुनियर इंजीनियर श्री निवेश वर्मा द्वारा सहकर्मियों के साथ आये और बिना कोई कारण बताये तथा न ही कोई लिखित सूचना दिये बिना उनके संयोजन में लगे मीटर को लेकर चले गये। दूरभाष के माध्यम से हुई बात पर उप विभागीय अधिकारी द्वारा बताया गया की वन विभाग आपके संयोजन को हटाने के लिए कहा गया। उनके द्वारा आसपास के गांव वासियों की तरह संयोजन लेने के लिए दौरान समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराये गये थे। वन विभाग द्वारा भी उनको लिखित में दिया गया था। उसके उपरान्त संयोजन प्राप्त होने के बाद भी एक वर्ष पूर्व से विधिक रूप से औपचारिकता पूर्ण करते हुए प्रयोग कर रहा है। संवैधानिक अधिकार के रूप में सामान्य आवश्यकता के रूप में विद्युत प्रयोग करना उनका अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 व 15 में निहित है। उनका पुरा गांव वन क्षेत्र है जिसमें उन्हें वनाधिकार अधिनियम 2006 में रहने और वन समिति में किया गया है। वनाधिकार अधिनियम कानून के

क्रमशः.....02

प्राक्धान्तर्गत धारा 4(5) के तहत वनो पर आश्रित समुदाय में संचालित सुविधाओं को हटाने व बेदखली जैसी कार्यवाही तब तक नहीं की जा सकती जब तक दावों का सत्यापन प्रक्रिया पुरी नहीं होती है। अतः मंच से अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से उनका संयोजन का मीटर लगाते हुए विद्युत संचालित कराने की कृपा करें।

विपक्षी का जवाब — विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 284 दिनांकित 22.05.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता द्वारा जो वाद दायर किया गया है उसके अनुपालन में मंच के संज्ञान में लाना है कि संयोजन नं० 691/1337/544068 में वन विभाग के द्वारा कार्यालय पत्रांक नं०-431/21-5 हरिद्वार दिनांक 03.05.2025 से अवगत कराया गया है, कि इनके द्वारा जो दस्तावेज लगाये गये हैं, वह पूर्णतया कूटरचित प्रमाण पत्रों के आधार पर लिये गये हैं एवं उनके द्वारा अवगत कराया गया है, कि गुज्जर पुर्नवास सबलगढ़ यूनिट में आवंटन प्लॉट सं० 01 से 157 तक ही है।

परिवादी प्रतिउत्तर — परिवादी द्वारा अपना प्रतिउत्तर कागज सं० — 8 ता 28 प्रस्तुत किया गया। विपक्षी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

—:विचारण:—

उभय पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

1. विचारणीय बिन्दु ये है कि विपक्षी द्वारा परिवादी का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया जाना विधि सम्मत है? पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन श्रीमती खातून पत्नी श्री यामीन, निवासी बसोंचन्दपुर, गुज्जर बस्ती, गैंडीखाता, जिला-हरिद्वार के नाम पर संयोजित चला आता है, जिसके सम्बंध में परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षी ने दिनांक — 14.05.2025 को बिना कोई कारण बताए, बिना किसी सूचना के कनेक्शन को विच्छेदित कर दिया है तथा जुनियर इंजिनियर निवेश वर्मा द्वारा मौके से मीटर भी हटा दिया है। विपक्षी विभाग ने अपने जवाब में उक्त कथन का खण्डन नहीं किया है तथा अपने जवाब में लिखा है कि वन विभाग के पत्रांक संख्या 471/21-5 हरिद्वार दिनांकित — 03.05.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि परिवादी

क्रमशः.....03

द्वारा कनेक्शन लेने हेतु जो दस्तावेज लगाये गये हैं वह पूर्णतः कूटरचित हैं। अर्थात् विपक्षी विभाग ने वन विभाग के पत्र पर कनेक्शन विच्छेदित किया है जिसकी कोई जांच व प्रमाणिकता नहीं है।

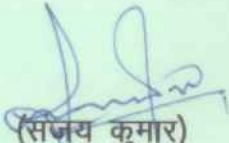
2. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग विनियम 2020 द्वारा निर्धारित विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधान अध्याय 3.3.2(4) के अनुसार वांछित प्रपत्र विपक्षी विभाग द्वारा प्राप्त किये जाने के उपरांत ही प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन परिवादी को जारी किया गया है। यदि परिवादी द्वारा उक्त कनेक्शन को प्राप्त करते समय कोई कूटरचित प्रपत्र दाखिल किया जाना आशंकित है तो उस प्रपत्र की प्रकृति व जांच प्रक्रिया का पालन किए बगैर सम्बंधित प्रपत्रों को बिना किसी आधार पर कूटरचित घोषित नहीं किया जा सकता है। प्रश्नगत मामले में कथित कूटरचित प्रपत्र का विवरण तक प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही प्रश्नगत संयोजन से सम्बंधित आवेदन प्रपत्र मंच के समक्ष प्रस्तुत किया गये हैं। ऐसा कोई साक्ष्य भी विपक्षी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उसके द्वारा कथित कूटरचना की बाबत कोई **FIR** परिवादी के विरुद्ध दर्ज कराई गई हो अर्थात् परिवादी पर प्रपत्रों की कूटरचना किये जाने का आरोप सिद्ध नहीं है कनेक्शन विच्छेदित किया जाना आधारहीन एवं तथ्य विहीन है।
3. यहकि प्रावधान 3.3.2(4)(i)(e) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वन विभाग की सहमति के आधार पर ही प्रश्नगत कनेक्शन विपक्षी द्वारा जारी किया जा सकता है। जिसके सम्बंध में विपक्षी की ओर से कोई कथन नहीं किया गया है। अर्थात् विपक्षी विभाग ने वन विभाग की सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही प्रश्नगत कनेक्शन जारी किया गया है।
4. यहकि परिवादी की ओर से प्रति शपथपत्र कागज सं० - 8,9,10,11,12,19 एवं 26 मय संलग्नक 27,28 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवादी के कब्जे वाली वन भूमि में परिवादी के अधिकारों की मान्यता एवं सत्यापन प्रक्रिया अपूर्ण चली आती है, तब तक परिवादी की और बिजली व अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है।
5. उपरोक्त के दृष्टिगत विपक्षी विभाग द्वारा बिना किसी विधिसम्वत अधिकार व आधार के प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कर मीटर का हटाया जाना विधि विरुद्ध कृत्य है। विपक्षी के इस कृत्य से परिवादी के उपभोक्ता अधिकारों का हनन किया जाना स्पष्ट है।

क्रमशः.....04

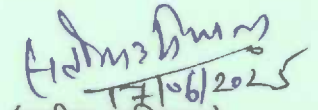
परिवादी के आवास पर विद्युत मीटर को पुनः संशोधित कर विद्युत कनेक्शन का पुनः संयोजन किया जाना विधि एवं न्याय की दृष्टि से मंच की राय मे न्याय संगत है। तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवादी के विद्युत कनेक्शन सं०—691/1337/544068 को संयोजित करते हुए विद्युत मीटर परिवादी के परिसर पर पुनः संस्थापित करे। आदेश अनुपालन अविलम्ब किया जाये। अनुपालन आख्या नियमानुसार मंच के समक्ष प्रस्तुत हो। पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 131/2025

दिनांक : 18.06.2025

परिवादी :- श्री राजेश कुमार पुत्र श्री कुंवर पाल, सहदेवपुर, पोस्ट-बहादराबाद, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री कुंवर पाल, सहदेवपुर, पोस्ट-बहादराबाद, हरिद्वार द्वारा विद्युत कनेक्शन संख्या-527260620003, स्वीकृत भार 7.5 एच0पी0 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि यह कनेक्शन उनके खेत में लगा हुआ है जिसकी लाईन एक महीने से बन्द है जिस कारण उनकी सारी फसल सूख रही है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके खेत की विद्युत सप्लाई जुड़वा/चालू करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 16.05.2025 को विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय, बहादराबाद में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री मनीश कुमार उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में तर्क प्रस्तुत किया गया। मंच द्वारा मौके पर उभय पक्ष के तर्क सुने गए। विपक्षी को मौके पर जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 499 दिनांकित 29.05.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि रजि0 नं0-527260620003 श्री राजेश कुमार पता-सहदेवपुर के नाम से है। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत करवाया गया था कि उनकी लाईट बन्द है। लाईन के सम्बन्ध में अवर अभियन्ता श्री. सुमित त्यागी द्वारा अवगत करवाया गया है कि उपभोक्ता की लाईन जोड़ दी गई है, वर्तमान में उपभोक्ता के यहाँ विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, पंजीकरण संख्या-527260620003 के सापेक्ष, 07.50 एचपी विद्युत भार पर निजी नलकूप के प्रयोगार्थ, निर्गत प्रश्नगत विद्युत संयोजन हेतु, निर्मित लाइन के क्षतिग्रस्त हो जाने के उपरांत, स्थानीय निवासी द्वारा

क्रमशः.....02

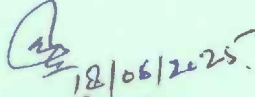
की जा रही आपत्तियों के परिणामस्वरूप विद्युत आपूर्ति सुचारु नहीं की जा सकी है। मंच द्वारा, प्रश्नगत लाइन की मरम्मत में व्यवधान हेतु जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाए जाने तथा परिवादी के निजी नलकूप हेतु, विद्युत की आपूर्ति सुचारु सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 499 दिनांक 29.05.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन हेतु, क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत करते हुए विद्युत आपूर्ति सुचारु कर दी गई है।

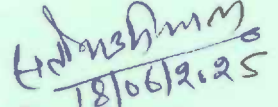
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन हेतु, क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत करते हुए विद्युत आपूर्ति सुचारु करते हुए परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 132/2025

दिनांक : 18.06.2025

परिवादी :- श्रीमती सन्नेश पत्नी श्री कुंवर पाल, सहदेवपुर, पोस्ट-बहादराबाद, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती सन्नेश पत्नी श्री कुंवर पाल, सहदेवपुर, पोस्ट-बहादराबाद, हरिद्वार द्वारा विद्युत कनेक्शन संख्या-527050623012, स्वीकृत भार 05 एच०पी० के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके विद्युत कनेक्शन की लाईन एक महिने से टूटी हुई है जिसको एक व्यक्ति नाम श्री सुरेश जोड़ने नहीं दे रहा है जिस कारण उनकी सारी फसल सूख रही है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनकी विद्युत लाइन जुड़वा दी जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 16.05.2025 को विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय, बहादराबाद में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादिनी श्रीमती सन्नेश उपस्थित हुई तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में तर्क प्रस्तुत किया गया। मंच द्वारा मौके पर उभय पक्ष के तर्क सुने गए। विपक्षी को मौके पर जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 498 दिनांकित 29.05.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि रजि० नं०-527050623012 श्रीमती सन्नेश पत्नी श्री कुंवर पाल, पता-सहदेवपुर के नाम से है। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत करवाया गया था कि उनकी लाईन टूटी हुई है। लाईन के सम्बन्ध में अवर अभियन्ता श्री सुमित त्यागी द्वारा अवगत करवाया गया है, कि उपभोक्ता की लाईन जोड़ दी गई है। वर्तमान में उपभोक्ता के यहां विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से चल रही है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, पंजीकरण संख्या-527050622013 के सापेक्ष, 05.00 एचपी विद्युत भार पर, निजी नलकूप के प्रयोगार्थ, निर्गत प्रश्नगत विद्युत संयोजन हेतु, निर्मित लाइन के क्षतिग्रस्त हो जाने के उपरांत, स्थानीय निवासी द्वारा

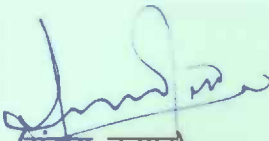
क्रमशः.....02

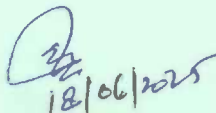
की जा रही आपत्तियों के परिणामस्वरूप विद्युत आपूर्ति सुचारु नहीं की जा सकी है। मंच द्वारा, प्रश्नगत लाइन की मरम्मत में व्यवधान हेतु जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाए जाने तथा परिवादिनी के निजी नलकूप हेतु, विद्युत की आपूर्ति सुचारु सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 498 दिनांक 29.05.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन हेतु, क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत करते हुए विद्युत आपूर्ति सुचारु कर दी गई है।

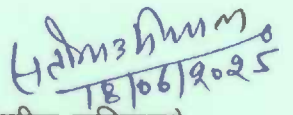
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन हेतु, क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत करते हुए विद्युत आपूर्ति सुचारु करते हुए, परिवादिनी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादिनी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


18/06/2025
(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


18/06/2025
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 133/2025

दिनांक : 25.06.2025

परिवादी :- श्री मनोज कुमार पुत्र श्री जयमल सिंह, निवासी-नियर-रविदास मन्दिर, ग्राम-अलीपुर, पोस्ट-बहादराबाद, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री जयमल सिंह, निवासी-नियर-रविदास मन्दिर, ग्राम-अलीपुर, पोस्ट-बहादराबाद, हरिद्वार द्वारा विद्युत कनेक्शन संख्या-जेडब्लू13117138584, के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि वह गांव में मेहनत मजदूरी करके, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला एक अनपढ़ तुल्य व्यक्ति है, उनके यहां विद्युत कनेक्शन का बिल देय था उसका पूरा भुगतान उनके द्वारा दिनांक 09.03.2022 को रू०. 34420.00 कर दिया गया था। इसके बाद दिनांक 26.03.2024 को रू०. 20000.00 जमा किये थे। तब विभाग के अधिकारी ने उनको आश्वस्त किया था कि अब तुम्हारे पास पिछला कोई विद्युत बिल देय नहीं है। परन्तु माह अप्रैल 2025 का विद्युत बिल रू० 44579.00 बना, जिसमें रू०. 11145.00 अतिरिक्त चार्ज भी लिखा आया जो एक वर्ष में किसी गरीब आदमी पर देय होना अनुचित है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका विद्युत बिल सही करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 16.05.2025 को विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय, बहादराबाद में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री मनोज कुमार उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में तर्क प्रस्तुत किया गया। मंच द्वारा मौके पर उभय पक्ष के तर्क सुने गए। विपक्षी को मौके पर जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 549 दिनांकित 03.06.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता श्री मनोज कुमार पुत्र श्री जयमल सिंह निवासी-नियर रविदास मन्दिर, ग्राम-अलीपुर, बहादराबाद का संयोजन सं०-जेडब्लू13117138584 का बिल चैक करने पर पाया गया, कि उपभोक्ता का मीटर खराब होने के कारण दिनांक 22.01.2023 को नया मीटर

हरिद्वार 25.06.2025 क्रमशः.....02

न०-यू३२९८५४ लगा था। तद् उपरान्त दिनांक 30.09.2023 को उपभोक्ता का बिल मीटर रीडिंग के आधार पर सही कर दिया गया था। उपभोक्ता के मीटर में दिनांक 15.05.2025 को रीडिंग 6128 केडब्लूएच थी। उपभोक्ता का सही विद्युत बिल रु०. 45352.00 का है, दिनांक 02.06.2025 को उपभोक्ता के मीटर में 6172 केडब्लूएच है। विद्युत बिल मीटर रीडिंग के अनुसार आ रहा है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 05.04.2014 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 02.07.2017 तक, विद्युत खपत (एमयू) के आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 25.07.2017 से दिनांक 28.01.2020 तक, लगभग 30 माह की अवधि हेतु, शून्य विद्युत खपत (एमयू) के आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 20.08.2023 तक, लगातार 16 बिलिंग चक्रों हेतु, एनआर/आरडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 15.09.2023 को एमसी आधार पर तदपश्चात् दिनांक 20.10.2023 से दिनांक 15.05.2025 तक एमयू आधार पर, विद्युत बिल जारी किए गए हैं।

विपक्षी विभाग द्वारा लगातार दो बिलिंग चक्रों से अधिक बार, अनंतिम बिल जारी करते हुए, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें।

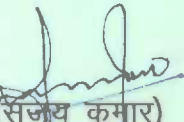
विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या-32228480 को, दोषपूर्ण हो जाने पर, दिनांक 22.01.2023 को, मीटर संख्या-यू३२९८५४ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है परंतु विपक्षी विभाग द्वारा उक्त नये मीटर संख्या-यू३२९८५४ को, दिनांक 15.09.2023 को परिवादी के बिलिंग अभिलेखों में दर्ज किया गया है। परिवादी द्वारा, दिनांक 09.07.2016 से दिनांक 02.07.2017 तक, लगभग 12 माह की अवधि में, कुल 1832 (8137-6305) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 12 माह की अवधि में लगभग 153 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 05.07.2018 से दिनांक 27.11.2022 तक, लगभग 52.73 माह की अवधि हेतु कुल 6406 यूनिट की विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए बिल जारी किया गया है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा उक्त 52.73 माह की अवधि हेतु, लगभग 121 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है जो कि उक्त 153 यूनिट प्रति माह की तुलना में सही प्रतीत होती है।

पत्रावली में उपलब्ध मीटर चेंज डिटेल तथा बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा, मीटर संख्या-यू३२९८५४ के माध्यम से, दिनांक 22.01.2023 से दिनांक 15.09.2023 तक, लगभग 08 माह की अवधि में, कुल 5150 (5150-0) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 08 माह की अवधि में, लगभग 644 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 153 यूनिट प्रति माह तथा 121 यूनिट प्रति माह की तुलना में कमशः 320.92 प्रतिशत तथा 432.23 प्रतिशत अधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होती है। परिवादी द्वारा उक्त मीटर संख्या-जी३२९८५४ के माध्यम से दिनांक 15.10.2023 से दिनांक 15.05.2025 तक, लगभग 20 माह की अवधि में, कुल 978 (6128-5150) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 20 माह की अवधि में, औसतन लगभग 49 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 153, 121, 644 यूनिट प्रति माह की तुलना में कमशः 67.97 प्रतिशत, 59.50 प्रतिशत तथा 92.39 प्रतिशत कम है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है।

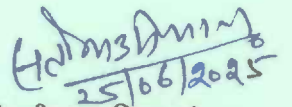
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 23.01.2023 से दिनांक 15.05.2025 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 27.11.2022 से दिनांक 15.05.2025 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों (दिनांक 02.03.2017, 03.05.2017 तथा 02.07.2017 को जारी) के सापेक्ष दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है तथा परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या-यू329854 को तत्काल बदले जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 23.01.2023 से दिनांक 15.05.2025 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 27.11.2022 से दिनांक 15.05.2025 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों (दिनांक 02.03.2017, 03.05.2017 तथा 02.07.2017 को जारी) के सापेक्ष दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या-यू329854 को तत्काल बदलने की कार्यवाही सुनिश्चित करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तार)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 134/2025

दिनांक : 18.06.2025

परिवादी :- श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री बलविन्दर सिंह, सलेमपुर महदूद, पोस्ट-बहादराबाद, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री बलविन्दर सिंह, सलेमपुर महदूद, पोस्ट-बहादराबाद, हरिद्वार द्वारा विद्युत कनेक्शन संख्या-42000041348, के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके मकान में विद्युत लाईन का पोल आ रहा है। जिसकी जानकारी उन्होंने धिरवाली विद्युत कार्यालय को दी तथा बहादराबाद कार्यालय में कई बार गये और जे०ई० साहब को सूचना देने के पश्चात भी लाईन का पोल नहीं सही किया गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि विद्युत पोल को हटवा दिया जाए।

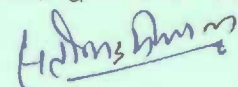
इस मंच द्वारा दिनांक 16.05.2025 को विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय, बहादराबाद में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री गुरप्रीत सिंह उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में तर्क प्रस्तुत किया गया। मंच द्वारा मौके पर उभय पक्ष के तर्क सुने गए। विपक्षी को मौके पर जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 497 दिनांकित 29.05.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री बलविन्दर सिंह, पता-सलेमपुर महदूद, पोल को हटवाना चाहता है पोल हटाने हेतु प्राक्कलन अवर अभियन्ता श्री सन्नी गोस्वामी द्वारा बना दिया गया है। प्राक्कलन सं०-डीपी.यूजी2502054 है जो कि अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारी को भेज दिया गया है। स्वीकृत के बाद प्राक्कलन की धनराशि जमा होने पर पोल हटवा दिया जाएगा।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

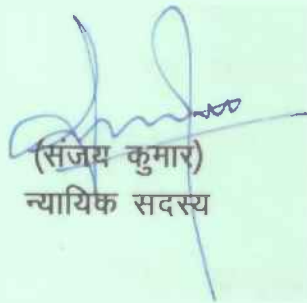
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का स्थान-सलेमपुर महदूद, पोस्ट-बहादराबाद, हरिद्वार पर स्थित उनके मकान के समीप से गुजर रही विद्युत लाइन का एक पोल उनके मकान/परिसर पर स्थापित किया गया है। परिवादी द्वारा उक्त पोल को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने हेतु यह शिकायत दर्ज करवाई गई है।

 क्रमशः.....02

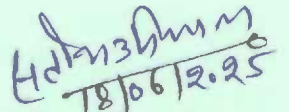
उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, प्रश्नगत विद्युत पोल/लाइन का रख-रखाव, विद्युत सुरक्षा मानकों के अनुरूप किए जाने की आवश्यकता है। विपक्षी विभाग द्वारा पूर्व से विद्यमान पोल/विद्युत लाइन को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने हेतु, अपनाई जा रही प्रक्रिया से परिवादी को अवगत कराते हुए, नियमानुसार कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। परिवादी की यह शिकायत, पोल/विद्युत लाइन को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के संबंध में है जो कि इस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः परिवादी का यह परिवाद मंच क्षेत्राधिकार में न होने के चलते स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद मंच क्षेत्राधिकार में न होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


18/06/2025
(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


18/06/2025
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 135/2025

दिनांक : 16.06.2025

परिवादी :- श्री केशुराम पुत्र श्री कांगडी सिंह, कडच्छ, अहाब नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री केशुराम पुत्र श्री कांगडी सिंह, कडच्छ, अहाब नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार द्वारा कथन किया गया है कि परिवादी की पत्नी श्रीमती कशमीरी के नाम एक सम्पत्ति खाता खतौनी सं0-01252, स्थित-आनेकी हैलमपुर, जिला हरिद्वार में चली आती है। उनकी पत्नी का देहान्त दिनांक 20.09.2011 में हो चुका है। उपरोक्त सम्पत्ति प्लॉट के ऊपर से परिवादी को बिना सूचित किये व उनकी अनुपस्थिति में, लगभग 4 माह पहले, विद्युत विभाग द्वारा विद्युत लाईन डाल दी गई। जिससे उन्हें जानमाल का खतरा बन गया व वह उक्त सम्पत्ति पर निर्माण करवाना चाहते हैं जो सम्पत्ति के ऊपर से विद्युत लाईन जाने के कारण असम्भव हो गया है। जिस कारण उन्होंने उक्त लाईन को सम्पत्ति के ऊपर से हटाने के लिये विधिवत रूप से आवेदन किया था। अतः मंच से अनुरोध है कि परिवादी की सम्पत्ति से होकर जाने वाली लाईन को हटवाकर अन्य किसी स्थान पर स्थापित करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 16.05.2025 को विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय, बहादुराबाद में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री केशुराम उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में तर्क प्रस्तुत किया गया। मंच द्वारा मौके पर उभय पक्ष के तर्क सुने गए। सुनवाई पूर्ण की गई।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी की स्व0 पत्नी श्रीमती कशमीरी देवी के नाम पर, खतौनी संख्या-01252, आनेकी हैलमपुर, जिला हरिद्वार, स्थित सम्पत्ति/प्लॉट पर विपक्षी विभाग द्वारा विद्युत लाइन का निर्माण किया गया है। उक्त निर्मित विद्युत लाइन से परिवादी को जानमाल का खतरा बना हुआ है। प्रश्नगत विद्युत लाइन के निर्माण हो जाने के उपरांत उक्त सम्पत्ति/प्लॉट पर, परिवादी द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाना संभव नहीं है।

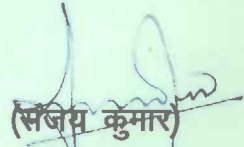
क्रमशः.....02

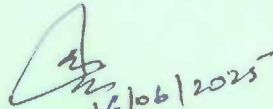
उक्त के परिपेक्ष्य में परिवादी द्वारा प्रश्नगत लाइन को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने हेतु अपनी शिकायत दर्ज की गई है।

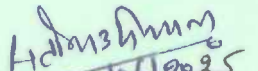
उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, प्रश्नगत पोल/विद्युत लाइन का रख-रखाव, विद्युत सुरक्षा मानकों के अनुरूप किए जाने की आवश्यकता है। विपक्षी विभाग द्वारा, पूर्व से विद्यमान पोल/विद्युत लाइन को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने हेतु, अपनाई जा रही प्रक्रिया से, परिवादी को अवगत कराते हुए, नियमानुसार कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। परिवादी की यह शिकायत, पोल/विद्युत लाइन को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के संबंध में है जो कि इस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः परिवादी का यह परिवाद मंच क्षेत्राधिकार में न होने के चलते स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद मंच क्षेत्राधिकार में न होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


16/06/2025
(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


16/06/2025
(सतीश चनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 136/2025

दिनांक : 10.06.2025

परिवादी :- श्री बिजेन्द्र पाल पुत्र श्री नाथू सिंह उत्तराधिकारी श्रीमती पिकी पाल, सलेमपुर महदूद-1, रोशनाबाद, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

मंच द्वारा दिनांक 16.05.2025 को विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय, बहादुराबाद में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद प्रस्तुत हुआ। मंच के समक्ष परिवादिनी श्रीमती पिकी पाल उपस्थित हुई तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर को सुना गया। परिवाद पंजीकृत होकर विपक्षी को जवाब हेतु अवसर प्रदान किया गया।

परिवाद पत्र के तथ्य- परिवादी श्री बिजेन्द्र पाल पुत्र श्री नाथू सिंह उत्तराधिकारी पत्नी श्रीमती पिकी पाल, सलेमपुर महदूद-1, रोशनाबाद, हरिद्वार द्वारा विद्युत कनेक्शन संख्या-जेडब्लू914बी2195279 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उक्त कनेक्शन उनके स्वर्गीय पति श्री बिजेन्द्र पाल के नाम पर लिया हुआ है। जिनकी मृत्यु दिनांक 30.09.2023 को हो गयी थी। उक्त विद्युत कनेक्शन पर स्थापित मीटर में आग लग गई थी। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका मीटर बदलवा दिया जाए एवं उक्त कनेक्शन को बिजेन्द्र पाल के नाम से हटा कर उनके नाम पर यानी की श्रीमती पिकी पाल पत्नी स्व0 श्री बिजेन्द्र पाल के नाम पर परिवर्तित कर दिया जावे।

विपक्षी जवाब- विपक्षी ने अपने जवाब में परिवादी को लिखे गये पत्र की प्रति प्रेषित की है। अर्थात् कोई जवाब मंच के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

-विचारण-

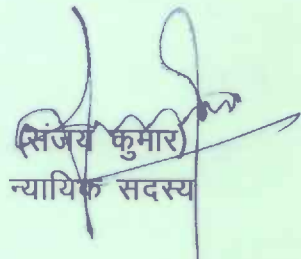
पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है परन्तु उसके द्वारा

क्रमशः.....02

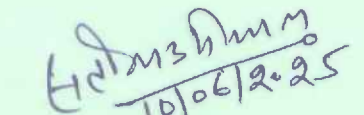
प्रश्नगत कनेक्शन को अपने नाम पर स्थानांतरित किये जाने का निवेदन किया गया है जिसका प्रावधान विद्युत आपूर्ति संहिता के अध्याय 4.3.2 में दिया गया है। जिसके लिए शिकायतकर्ता को नियमानुसार आवेदन करना होगा। जले हुए मीटर को 3 दिवस में बदलने का प्रावधान है। विपक्षी को तदनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।

—आदेश—

परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया गया जाता है। विपक्षी परिवादी के परिसर से जले मीटर के स्थान पर नया मीटर प्रतिस्थापित करे। परिवादी द्वारा प्रश्नगत कनेक्शन को अपने नाम पर स्थानांतरित किये जाने हेतु आवेदन प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही करे। आदेश का अनुपालन 30 दिन में पूर्ण कर आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत हो। पत्रावली दफतर दाखिल हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 137/2025

दिनांक : 16.06.2025

परिवादी :- श्रीमती लता पत्नी श्री रवि, सिद्धी विनायक कॉलोनी, सलेमपुर महदूद-2, बहादुराबाद, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती लता पत्नी श्री रवि, सिद्धी विनायक कॉलोनी, सलेमपुर महदूद-11, बहादुराबाद, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-जेडब्लू11281188681 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके विद्युत संयोजन पर जो मीटर लगा था वह गलत यूनिट दिखा रहा था। जिसके बाद उन्होंने चैक मीटर लगवाकर उसकी जांच करवाई है। जांच में उनका मीटर फास्ट पाया गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 16.05.2025 को विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय, बहादुराबाद में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री रवि उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादिनी प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में तर्क प्रस्तुत किया गया। मंच द्वारा मौके पर उभय पक्ष के तर्क सुने गए। सुनवाई पूर्ण की गई।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 516 दिनांकित 30.05.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता श्रीमती लता पत्नी श्री रवि कुमार, निवासी सलेमपुर महदूद-2, बहादुराबाद, हरिद्वार का संयोजन संख्या-जेडब्लू11281188681 का बिल मीटर रीडिंग के आधार पर संशोधित कर दिया गया है। शिकायतकर्ता का बिल ₹0 1975.00 का है, जो कि संशोधित कर ₹0 1222.00 का प्रस्तावित है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन, 02.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 01.11.2018 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 22.03.2025 तक एमयू आधार पर तथा दिनांक 23.04.2025 को आरडीएफ आधार पर बिल

क्रमशः.....02

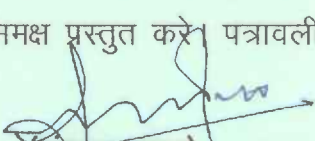
जारी किए गए हैं। परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर तदसमय गतिमान मीटर संख्या-84553190 की शुद्धता जांचे जाने हेतु, दिनांक 25.02.2025 को, चैक मीटर संख्या-जीयू199342 स्थापित किया गया है जिसे दिनांक 27.03.2025 को फाइनल किया गया है। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर तदसमय गतिमान मीटर संख्या-84553190, चैक मीटर की तुलना में 1046 प्रतिशत तेज पाया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त मीटर संख्या-84553190 दोषपूर्ण स्थिति में पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी द्वारा, दिनांक 23.11.2024 से दिनांक 17.02.2025 तक, लगभग 3.80 माह की अवधि में कुल 254 (7330-7076) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। चैक मीटर संख्या-जीयू199342 पर, दिनांक 25.02.2025 से दिनांक 27.03.2025 तक, लगभग एक माह की अवधि में, कुल 71 यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। उक्त तथ्यों से विदित होता है कि परिवादिनी के संयोजन पर तदसमय गतिमान मीटर संख्या-84553190, दिनांक 17.02.2025 तक, सही/दोषरहित अवस्था में कार्यशील रहा है, इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 22.03.2025 तथा दिनांक 23.04.2025 को, उक्त दोषपूर्ण मीटर पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए। विपक्षी विभाग द्वारा चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए दिनांक 23.04.2025 को संशोधित बिल जारी किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक-516 दिनांक 30.05.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि दिनांक 22.03.2025 तथा दिनांक 23.04.2025 को जारी बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 17.02.2025 से दिनांक 26.03.2025 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी 03 बिलिंग चक्रों के सापेक्ष दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 27.03.2025 से दिनांक 23.04.2025 तक की अवधि हेतु परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या-जीयू199342 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

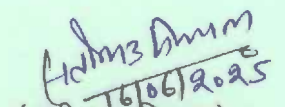
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी को दिनांक 22.03.2025 तथा दिनांक 23.04.2025 को जारी बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 17.02.2025 से दिनांक 26.03.2025 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी 03 बिलिंग चक्रों के सापेक्ष दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 27.03.2025 से दिनांक 23.04.2025 तक की अवधि हेतु परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या-जीयू199342 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, प्रस्तावित बिल संशोधन के अनुसार बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को दिनांक 22.03.2025 तथा दिनांक 23.04.2025 को जारी बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 17.02.2025 से दिनांक 26.03.2025 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी 03 बिलिंग चक्रों के सापेक्ष दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 27.03.2025 से दिनांक 23.04.2025 तक की अवधि हेतु परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या-जीयू199342 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, प्रस्तावित बिल संशोधन के अनुसार बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश चहल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत),

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 138 / 2025

दिनांक : 26.06.2025

परिवादी :- श्री अमृत कुमार पुत्र श्री बसंत सिंह, बहादराबाद, तहसील व जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

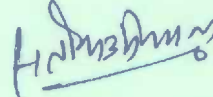
निर्णय

परिवादी श्री अमृत कुमार पुत्र श्री बसंत सिंह, बहादराबाद, तहसील व जिला-हरिद्वार द्वारा कथन किया गया है कि उनके पिता श्री बसंत सिंह के नाम ग्राम बहादराबाद परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार में कृषि भूमि है। उनके खेत में जाने वाले रास्ते पर नाले की पटरी की तरफ कॉलोनी का निर्माण हो रहा है। प्रोपर्टी डीलर के द्वारा उनके खेत में जाने वाली चकरोड़ पर अवैध तरीके से ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है जिस कारण से उनको उनके खेत में आने जाने व खेत में जुताई बुआई करने में काफी परेशानी हो रही है। उनका खेत नाले के दांयी तरफ है तथा जबकि कॉलोनी का निर्माण नाले के बांयी तरफ हो रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके खेत में जाने वाली चकरोड़ से अवैध रूप से लगाये गये ट्रांसफार्मर को हटवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 16.05.2025 को विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय, बहादराबाद में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री अमृत कुमार उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में तर्क प्रस्तुत किया गया। मंच द्वारा मौके पर उभय पक्ष के तर्क सुने गए। विपक्षी को मौके पर जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 501 दिनांकित 29.05.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि श्री अमृत कुमार पुत्र श्री बसंत सिंह निवासी-बहादराबाद ने अवैध रूप से ट्रांसफार्मर लगाने के सम्बन्ध में शिकायत की थी उक्त के सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है, कि अवर अभियन्ता द्वारा ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग का प्राक्कलन सं०-डीपी.यूजी2403838 बनाया गया था जिसके बाद उपभोक्ता द्वारा उक्त प्राक्कलन की धनराशि विद्युत विभाग में जमा करा दी गई थी जिसके उपरान्त ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करा दिया गया था।

 क्रमशः.....02

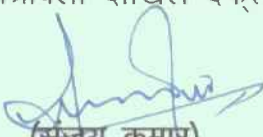
मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी के पिता के नाम पर ग्राम बहादुराबाद, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार स्थित, कृषि भूमि को जाने वाले रास्ते (चकरोड़) पर, पूर्व में अन्य स्थान पर स्थापित विद्युत ट्रांसफार्मर को स्थानांतरित किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 501 दिनांक 29.05.2025 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत विद्युत ट्रांसफार्मर को विभाग द्वारा उक्त के संबंध में अपनाई जा रही प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरित किया गया है। सुनवाई के दौरान, परिवादी द्वारा, उक्त विद्युत ट्रांसफार्मर को, पूर्ववर्ती स्थान पर स्थानांतरित किए जाने पर आपत्ति की गई है। मंच द्वारा, विपक्षी विभाग तथा परिवादी को संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण करते हुए, निर्विवादित भूमि पर, प्रश्नगत विद्युत ट्रांसफार्मर को, नियमानुसार, स्थानांतरित किए जाने हेतु, प्रयास किए जाने की सलाह दी गई। विपक्षी विभाग द्वारा, पूर्व में विद्यमान विद्युत ट्रांसफार्मर, लाइन, पोल आदि को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया से, परिवादी को अवगत कराए जाने की आवश्यकता है।

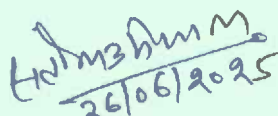
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित उविनिआ (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश) विनियम, 2019 के अध्याय-3 के 3.1 (5) के अनुसार, पूर्व से विद्यमान प्रश्नगत विद्युत ट्रांसफार्मर को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के संबंध में पंजीकृत उक्त शिकायत को स्वीकार किया जाना इस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं है। परिणामस्वरूप परिवादी का यह परिवाद मंच क्षेत्राधिकारी न होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद मंच क्षेत्राधिकार में न होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 139/2025

दिनांक : 25.06.2025

परिवादी :- श्री फुरकान पुत्र श्री इस्माईल, निवासी-सलेमपुर महदूद, पोस्ट-बहादराबाद, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री फुरकान पुत्र श्री इस्माईल, निवासी-सलेमपुर महदूद, पोस्ट-बहादराबाद, हरिद्वार द्वारा विद्युत कनेक्शन संख्या-जेडब्लू11223105136, के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका मीटर दिनांक 19.07.2022 को, विद्युत विभाग द्वारा बदला गया था। पुराने मीटर की रीडिंग 2084 केडब्लूएच थी। नया मीटर लगने के बाद भी आज तक उनका विद्युत बिल पुराने मीटर की रीडिंग के हिसाब से ठीक नहीं किया गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका विद्युत बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 16.05.2025 को विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय, बहादराबाद में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री फुरकान उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में तर्क प्रस्तुत किया गया। मंच द्वारा मौके पर उभय पक्ष के तर्क सुने गए। विपक्षी को मौके पर जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 517 दिनांकित 30.05.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता श्री फुरकान पुत्र श्री इस्माईल, निवासी-सलेमपुर महदूद, बहादराबाद का संयोजन सं०-जेडब्लू11223105136 है। उपभोक्ता ने दिनांक 24.01.2024 को ₹0. 50000.00 जमा किये थे जबकि उपभोक्ता का विद्युत बिल ₹0. 144049.00 का था। दिनांक 12.01.2022 में उपभोक्ता के यहाँ विद्युत चैकिंग की गई थी, एवं जिसमें उपभोक्ता का ₹0 104774.00 विद्युत चोरी का जुर्माना खण्ड कार्यालय द्वारा जोड़ा गया। और वर्तमान में उपभोक्ता का विद्युत बिल मीटर रीडिंग के आधार पर बन रहा है। उपभोक्ता के मीटर में 5600 केडब्लूएच रीडिंग है, वर्तमान में उपभोक्ता का विद्युत बिल ₹0. 124830.00 का है।

Handwritten signature

क्रमशः.....02

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 08.01.2011 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 05.07.2017 तक विद्युत खपत (एमयू) के आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 06.09.2017 से दिनांक 09.07.2018 तक, लगभग 10 माह की अवधि हेतु, शून्य विद्युत खपत के, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 10.09.2018 को एमयू (16 यूनिट) के आधार पर बिल जारी किया गया है। दिनांक 06.11.2018 को, पुनः शून्य विद्युत खपत (एमयू) के आधार पर बिल जारी किया गया है। तदपश्चात् दिनांक 05.01.2019 से दिनांक 14.07.2022 तक, लगातार 21 बिलिंग चक्रों हेतु, एनए/आईडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 06.09.2022 से दिनांक 12.05.2025 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं।

विपक्षी विभाग द्वारा, लगातार दो बिलिंग चक्रों से अधिक बार, अनंतिम बिल जारी करते हुए, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें।

परिवादी द्वारा रू० 112275.00 दिनांक 23.06.2022 तथा रू० 50,000.00 दिनांक 27.01.2024 को जमा की गई धनराशि का समायोजन, परिवादी के विद्युत बिल संबंधी खाते में दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर पूर्व में स्थापित मीटर संख्या-40100562 को, दोषपूर्ण हो जाने पर, दिनांक 19.07.2022 को, मीटर संख्या-15982525 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा, मीटर संख्या-40100562 के माध्यम से, दिनांक 16.07.2016 से दिनांक 05.07.2017 तक, लगभग 12 माह की अवधि में, कुल 336 (999-663) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 12 माह की अवधि में, लगभग 28 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है।

विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 06.11.2018 से दिनांक 14.07.2022 तक, लगभग 44 माह की अवधि हेतु, कुल 12814 यूनिट की विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए बिल जारी किया गया है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा उक्त 44 माह की अवधि हेतु, लगभग 291 यूनिट प्रति माह की औसत दर से, विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है जो कि उक्त 28 यूनिट प्रति माह की तुलना में 939.29 प्रतिशत अधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होती है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 06.09.2022 से दिनांक 12.05.2025 तक, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या-15982525 पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए गए हैं जो कि सही प्रतीत होते हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को दिनांक 06.09.2017 से दिनांक 14.07.2022 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 05.07.2017 से दिनांक 14.07.2022 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी, 03 बिलिंग चक्रों के सापेक्ष दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

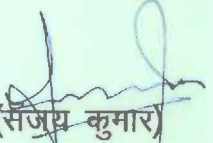
क्रमशः.....03

Handwritten signature

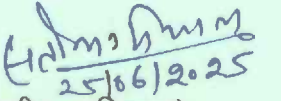
Handwritten signature

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 06.09.2017 से दिनांक 14.07.2022 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 05.07.2017 से दिनांक 14.07.2022 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी, 03 बिलिंग चकों के सापेक्ष दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 140/2025

दिनांक : 16.06.2025

परिवादी :- श्री जगतार सिंह पुत्र श्री तेजा सिंह, आनेकी हेतमपुर, बहादराबाद, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री जगतार सिंह पुत्र श्री तेजा सिंह, आनेकी हेतमपुर, बहादराबाद, हरिद्वार द्वारा कथन किया गया है कि उनके घर के आगे जड में एक विद्युत पोल आ रहा है जो कि उनके घर की बनावट में दिक्कत दे रहा है। पोल मकान के अन्दर आ रहा है वह इस कारण परेशान हैं। विद्युत पोल पास होने के कारण कोई हानि भी हो सकती है। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त पोल को जल्द से जल्द उनके घर के आगे से हटवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 16.05.2025 को विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय, बहादराबाद में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री जगतार सिंह उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में तर्क प्रस्तुत किया गया। मंच द्वारा मौके पर उभय पक्ष के तर्क सुने गए। सुनवाई पूर्ण की गई।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी के स्थान आनेकी हेतमपुर, बहादराबाद, हरिद्वार स्थित घर के नजदीक एक विद्युत पोल स्थापित है। विदित होता है कि परिवादी द्वारा उक्त पोल के नजदीक घर का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है जिस कारण उक्त पोल घर के परिसर के अंदर आने की संभावना है जिससे परिवादी को जानमाल की हानि होने की संभावना है। परिवादी द्वारा उक्त पोल को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की शिकायत दर्ज की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा प्रश्नगत विद्युत पोल तथा इससे संयोजित विद्युत लाइन का रख-रखाव सुरक्षा की दृष्टि से, निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाना आवश्यक है ताकि परिवादी को किसी भी प्रकार से जानमाल के रूप में हानि न पहुंचे।

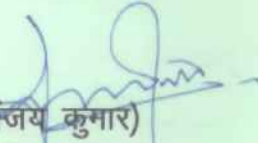
Handwritten signature

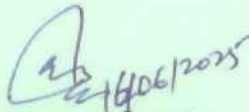
क्रमशः.....02

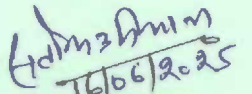
उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, प्रश्नगत पोल/विद्युत लाइन का रख-रखाव, विद्युत सुरक्षा मानकों के अनुरूप किए जाने की आवश्यकता है। विपक्षी विभाग द्वारा, पूर्व से विद्यमान पोल/विद्युत लाइन को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने हेतु, अपनाई जा रही प्रक्रिया से, परिवादी को अवगत कराते हुए, नियमानुसार कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। परिवादी की यह शिकायत, पोल/विद्युत लाइन को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के संबंध में है जो कि इस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः परिवादी का यह परिवाद मंच क्षेत्राधिकार में न होने के चलते स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद मंच क्षेत्राधिकार न होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 141/2025

दिनांक : 16.06.2025

परिवादी :- श्री आशीष कुमार पुत्र श्री ओम पाल सिंह, मकान सं०-8, वी०आई०पी० विहार कॉलोनी, दादुपुर, गोविन्दपुर, बहादुराबाद, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री आशीष कुमार पुत्र श्री ओम पाल सिंह, मकान सं०-8, वी०आई०पी० विहार कॉलोनी, दादुपुर, गोविन्दपुर, बहादुराबाद, हरिद्वार द्वारा विद्युत कनेक्शन संख्या-जेडब्लू21228148189, के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि दिनांक 26.03.2025 को उपखण्ड अधिकारी, बहादुराबाद को विद्युत बिल ठीक करवाने एवं मीटर को बदलवाने का प्रार्थना पत्र दिया था। जिस के उपरान्त उपखण्ड अधिकारी के कहने पर उन्होंने रु०. 20000.00 जमा करवाए। उक्त बिल को दिनांक 05.04.2025 तक ठीक करने का आश्वासन दिया था। बिल में रु०. 18000.00 लगभग की राशि ठीक होनी थी जो कि अभी तक ठीक नहीं हुई है। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त गलत बिल को सही करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 16.05.2025 को विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय, बहादुराबाद में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादि श्री आशीष कुमार उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में तर्क प्रस्तुत किया गया। मंच द्वारा मौके पर उभय पक्ष के तर्क सुने गए। सुनवाई पूर्ण की गई।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 550 दिनांकित 03.06.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता श्री आशीष कुमार पुत्र श्री ओमपाल सिंह, निवासी वी०आई०पी० विहार कॉलोनी, दादुपुर, गोविन्दपुर, बहादुराबाद, हरिद्वार का संयोजन संख्या-जेडब्लू21228148189 का बिल जांच करने पर सही पाया गया है। उपभोक्ता का विद्युत बिल मीटर रीडिंग के आधार पर बन रहा है। उपभोक्ता के मीटर में दिनांक 12.05.2025 को रीडिंग-7706 केडब्लूएच थी। उपभोक्ता का बिल रु० 22470.00 का है। दिनांक 02.06.2025 को उपभोक्ता के मीटर में रीडिंग-8172 केडब्लूएच है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

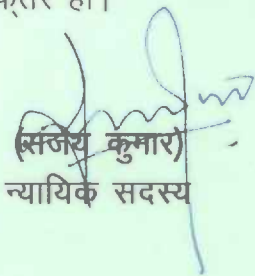
क्रमशः.....02

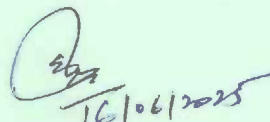
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 04.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 29.09.2015 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 12.05.2025 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या-26415 के दोषपूर्ण हो जाने पर, दिनांक 11.10.2023 को, मीटर संख्या-867570 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 11.02.2022 से दिनांक 10.02.2023 तक, लगभग 12 माह की अवधि में कुल 4100 (28570-24470) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 12 माह की अवधि में, 345 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। इसी प्रकार परिवादी द्वारा, प्रश्नगत संयोजन पर, दिनांक 11.10.2023 को स्थापित मीटर संख्या-867570 के माध्यम से, दिनांक 11.10.2023 से दिनांक 12.05.2025 तक, लगभग 19 माह की अवधि में, कुल 7706 (7706-0) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 19 माह की अवधि में 406 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 10.12.2023 को जारी संशोधित बिल में, दिनांक 10.02.2023 से दिनांक 11.10.2023 तक, 08 माह की अवधि हेतु, कुल 2664 (3384-720) यूनिट की विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है तथा दिनांक 11.10.2023 से दिनांक 10.12.2023 तक, लगभग 02 माह की अवधि में, मीटर संख्या-867570 पर, 720 यूनिट विद्युत खपत दर्ज पायी गई है जो कि परिवादी द्वारा पूर्व में दर्ज औसत विद्युत खपत के सापेक्ष सही प्रतीत होती है।

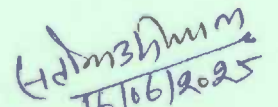
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर तदसमय गतिमान मीटर संख्या-26415 तथा 867570 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत तथा पूर्व में दर्ज औसत विद्युत खपत के सापेक्ष, निर्धारण के आधार पर बिल जारी किए गए हैं जो कि सही प्रतीत होते हैं। फलस्वरूप उक्त आधार पर जारी बिलों में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


16/06/2025
(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


16/06/2025
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 142/2025

दिनांक :17.06.2025

परिवादी :- श्रीमती किरन चौहान पत्नी श्री जनेश्वर चौहान, निवासी-पीठ बाजार के पास, होटल ड्रीम लैण्ड के पीछे, पोस्ट-बहादराबाद, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

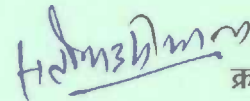
उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवाद के तथ्य — परिवादिनी श्रीमती किरन चौहान पत्नी श्री जनेश्वर चौहान, निवासी-पीठ बाजार के पास, होटल ड्रीम लैण्ड के पीछे, पोस्ट-बहादराबाद, हरिद्वार द्वारा विद्युत कनेक्शन संख्या-जेडब्लू21222084763 के सन्दर्भ में कागज सं0 - 1 ता 6 प्रस्तुत कथन किया गया है कि परिवादनी का मीटर खराब है जिसकी ऑनलाईन कम्पलैन दो बार की जा चुकी है जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ है। बन्द मीटर होने के बावजूद भी बिजली बिल बहुत ज्यादा हो गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि परिवादनी का बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 16.05.2025 को विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय, बहादराबाद में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री अमरीश चौहान उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में तर्क प्रस्तुत किया गया। मंच द्वारा मौके पर उभय पक्ष के तर्क सुने गए। विपक्षी को मौके पर जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।



क्रमशः.....02

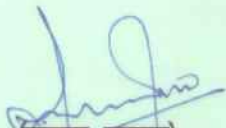
विपक्षी का जवाब - विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा कागज सं० - 8 ता 10 प्रस्तुत का पत्रांक संख्या 505 दिनांकित 29.05.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि श्रीमती किरन चौहान पत्नी श्री जनेश्वर चौहान, पता-बहादुराबाद का संयोजन सं०-जेडब्लू21222084763 का बिल जाँच करने पर सही पाया गया है। उपभोक्ता का विद्युत बिल मीटर की रीडिंग के आधार पर बन रहा है, उपभोक्ता के मीटर में आज दिनांक 30.05.2025 को रीडिंग 690 केडब्लूएच है। विद्युत बिल मीटर रीडिंग के अनुसार आ रहा है।

—:विचारण:—

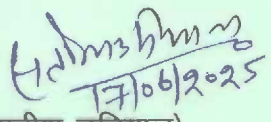
मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद पुकारा गया। उभयपक्ष उपस्थित। विपक्षी की ओर से अवगत कराया गया कि परिवादी का बिल संशोधित दुरुस्त कर दिया गया है, जिससे परिवादी संतुष्ट है। इस प्रकार परिवादी की शिकायत का विपक्षी द्वारा समाधान कर दिया गया है तदनुसार परिवाद का निस्तारण कर दिया जाता है।

आदेश

विपक्षी विभाग परिवादी का शिकायत का विपक्षी द्वारा समाधान कर दिया गया है। तदनुसार निस्तारण किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में प्रत्यावेदन कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 145/2025

दिनांक :10.06.2025

परिवादी :- श्री बबलू उर्फ चन्दन सिंह पुत्र श्री गतवार सिंह, खसरा नं०-654, नियर रोड़ नं०-1, सुमन नगर, बहादुराबाद, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

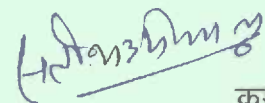
उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

मंच द्वारा दिनांक 16.05.2025 को विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय, बहादुराबाद में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री विजेन्द्र पाल उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर को सुना गया तथा परिवाद पंजीकृत किया गया है।

परिवाद- परिवादी श्री बबलू उर्फ चन्दन सिंह पुत्र श्री गतवार सिंह, खसरा नं०-654, नियर रोड़ नं०-1, सुमन नगर, बहादुराबाद, हरिद्वार द्वारा विद्युत कनेक्शन संख्या-जेडब्लू21248833764 के सन्दर्भ में कागज सं०- 1 ता 4 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि परिवादी का विद्युत बिल बहुत अधिक एवं गलत आ रहा है। जिसमे परिवादी द्वारा दिनांक 02.01.2025 में चैक मीटर लगवाया गया। जिसको विद्युत विभाग ने दिनांक 24.01.2025 को फाईनल किया। जिसकी रिपोर्ट में मीटर 12990 प्रतिशत फास्ट पाया गया। अतः परिवादी द्वारा मंच से अनुरोध है कि उक्त गलत बिल को सही करवा दिया जाए।

विपक्षी का जवाब- विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक सं०- 504 दिनांकित 29.05.2025 द्वारा कागज सं०- 6 ता 10 प्रस्तुत कर संयोजन संख्या-जेडब्लू21248833764 का बिल मीटर की रीडिंग के आधार पर संशोधित कर दिया गया है। उपभोक्ता का विद्युत बिल संशोधित कर रुपये 10286.00 का बनेगा। बिल संशोधित कर उच्च अधिकारी को भेज दिया है।



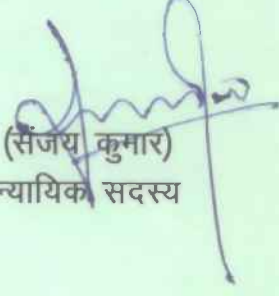
क्रमशः.....02

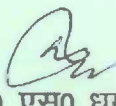
-विचारण -

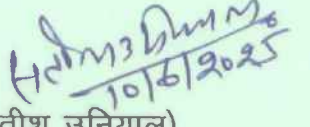
पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी ने परिवादी का बिल संशोधित कर सही कर दिया है। परिवादी ने बिल संशोधन पर कोई प्रतिरोध अथवा आपत्ति नहीं की है। संशोधन के उपरान्त परिवादी की ओर विपक्षी विभाग का रुपया 10284.00 बकाया निकलता है जिसे विपक्षी वसूल करने का अधिकारी है।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी को संशोधन के अनुसार रुपये 10284.00 का नियमानुसार बिल प्रेषित करे। परिवाद निस्तारित किया जाता है। विपक्षी आदेश अनुपालन 30 दिन में पूर्ण कर आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 146/2025

दिनांक : 26.06.2025

परिवादी :- श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह, गली नं०-370, प्लॉट नं०-108, हरिद्वार कुंज कॉलोनी, ग्राम-दौलतपुर, पोस्ट-बहादुराबाद, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

सतीश उनियाल

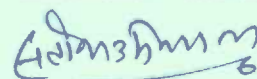
उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

मंच द्वारा दिनांक 16.05.2025 को विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय, बहादुराबाद ज्वालापुर, हरिद्वार के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय, बहादुराबाद में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें मंच के समक्ष परिवादी श्री सन्दीप कुमार उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर को सुना गया तथा परिवाद पंजीकृत किया गया है।

परिवाद के तथ्य — परिवादी श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह, गली नं०-370, प्लॉट नं०-108, हरिद्वार कुंज कॉलोनी, ग्राम-दौलतपुर, पोस्ट-बहादुराबाद, हरिद्वार द्वारा कागज सं० — 1 ता 3 प्रस्तुत कर विद्युत कनेक्शन संख्या-जेडब्लू61225285136 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि परिवादी बिजली का बिल माह जुलाई 2024 के बाद से गलत बनता चला आ रहा है जो कि आज की तारीख में दिनांक 16.05.2025 को रु०. 44355.00 हो गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि परिवादी का विद्युत बिल सही करवा दिया जाए।

विपक्षी का जवाब — विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा कागज सं० — 4 मय 5,6,7,8,9,11,12, 13 प्रस्तुत कर पत्रांक संख्या 512 दिनांकित 30.05.2025 में कथन किया है कि शिकायतकर्ता श्री सन्दीप



क्रमशः.....02

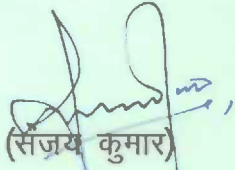
कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह, निवासी—दौलतपुर, बहादुराबाद का संयोजन सं०—जेडब्लू 61225285136 का बिल मीटर की रीडिंग के आधार पर संशोधित कर दिया गया है। उपभोक्ता का विद्युत बिल रू०. 45432.00 का है, जो कि संशोधित कर रू०. 12112.00 का बनेगा। बिल संशोधित कर उच्च अधिकारी को भेज दिया है।

—:विचारण:—

वाद पुकारा गया। उभयपक्ष उपस्थित। सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी जवाब में अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता का विद्युत बिल रू०. 45432.00 का है, जो कि संशोधित कर रू०. 12112.00 का बनेगा। बिल संशोधित कर उच्च अधिकारी को भेज दिया है। जिससे परिवादी संतुष्ट है। तदनुसार परिवाद का निस्तारण कर दिया जाता है।

—आदेश—

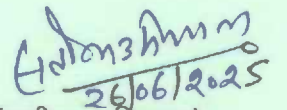
परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह जवाब कथनानुसार संशोधित धनराशी रू०. 12112.00 का विद्युत बिल परिवादी को उपलब्ध कराये। आदेश अनुपालन आख्या नियमानुसार मंच के समक्ष प्रस्तुत हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य



(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य



(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 147 / 2025

दिनांक : 26.06.2025

परिवादी :- श्री शाहनवाज पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक, पीठ बाजार, निकट-गोयल सुपर स्टोर, पोस्ट-बहादराबाद, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री शाहनवाज पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक, पीठ बाजार, निकट-गोयल सुपर स्टोर, पोस्ट-बहादराबाद, हरिद्वार द्वारा विद्युत कनेक्शन संख्या-6901201097060 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उक्त विद्युत कनेक्शन में उनका अधिक बिल जमा है और जमानत राशि भी जमा है, और कनेक्शन पी०डी० किया जा चुका है। कनेक्शन भी विद्युत विभाग द्वारा काटा जा चुका है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका जो बिल अधिक जमा है एवं जो जमानत राशि विभाग में जमा है उनको वापस दिलवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 16.05.2025 को विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय, बहादराबाद में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री शाहनवाज उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में तर्क प्रस्तुत किया गया। मंच द्वारा मौके पर उभय पक्ष के तर्क सुने गए। विपक्षी को मौके पर जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 522 दिनांकित 31.05.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता श्री शाहनवाज पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक, निवासी-पीठबाजार नियर गोयल सुपर स्टोर बहादराबाद संयोजन सं०-जेडब्लू०के००००१३०३७ का दिनांक 21.11.2024 में फाइनल बिल रू०. 9144.00 का बना था जिसमें दिनांक 21.11.2024 को ही उपभोक्ता कि जमानत राशि रू०. 5000.00 विद्युत बिल में से घटा दी गयी थी। अब वर्तमान में उपभोक्ता पर रू०. 4129.00 का बकाया है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

क्रमशः.....02

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 05.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 23.01.2008 को निर्गत किया गया था। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 12.01.2024 को जारी विद्युत बिल की धनराशि ₹0 3777.00 का भुगतान, परिवादी द्वारा दिनांक 19.01.2024 को किया गया है। परिवादी द्वारा, प्रश्नगत विद्युत संयोजन को स्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने हेतु, वांछित शुल्क ₹0 708.00 का भुगतान रसीद संख्या-3465636, दिनांक 27.01.2024 के माध्यम से किया गया है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के प्रश्नगत संयोजन को दिनांक 20.03.2024 को विच्छेदित किया गया है। बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 21.07.2023 तक, विद्युत खपत (मीटर रीडिंग-40197 केडब्ल्यूएच) दर्ज की गई है। परिवादी द्वारा दिनांक 21.07.2023 के पश्चात, उक्त संयोजन के माध्यम से विद्युत का उपभोग नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा दिनांक 21.07.2023 से दिनांक 12.01.2024 तक की अवधि हेतु, फिक्स्ड चार्ज का भुगतान किया गया है। परिवादी द्वारा, दिनांक 27.01.2024 को, स्थायी विच्छेदन हेतु आवश्यक शुल्क ₹0 708.00 की धनराशि जमा किए जाने के उपरांत लगभग 10 माह का विद्युत बिल (फिक्स्ड चार्ज), विपक्षी विभाग द्वारा जारी किया गया है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है। विपक्षी विभाग द्वारा, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 6.2 का अनुपालन न करते हुए, निर्धारित समयावधि में परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन को स्थायी तौर पर विच्छेदित नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा, दिनांक 27.01.2024 को, स्थायी विच्छेदन हेतु वांछित शुल्क जमा किए जाने के उपरांत, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 03.02.2024 तक (07 दिन के अंदर), परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन को स्थायी रूप से विच्छेदित किया जाना चाहिए था परंतु विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 21.11.2024 तक की अवधि हेतु फिक्स्ड चार्ज का बिल (अंतिम बिल) परिवादी को जारी किया गया है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है।

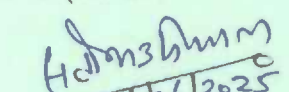
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को दिनांक 21.11.2024 को जारी बिल को निरस्त करते हुए, दिनांक 03.02.2024 तक की अवधि हेतु अंतिम बिल जारी करते हुए, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन को स्थायी रूप से विच्छेदित करते हुए अंतिम बिल की धनराशि का समायोजन परिवादी द्वारा जमा की गई जमानत की धनराशि से करते हुए शेष जमानत धनराशि का भुगतान परिवादी को अविलंब किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 21.11.2024 को जारी बिल को निरस्त करते हुए, दिनांक 03.02.2024 तक की अवधि हेतु अंतिम बिल जारी करते हुए, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन को स्थायी रूप से विच्छेदित करते हुए अंतिम बिल की धनराशि का समायोजन परिवादी द्वारा जमा की गई जमानत की धनराशि से करते हुए शेष जमानत धनराशि का भुगतान परिवादी को अविलंब करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत),

80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 148/2025

दिनांक : 18.06.2025

परिवादी :- श्री अख्तर पुत्र श्री बुनदू, निवासी-पीरान कलियर, रूड़की, जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री अख्तर पुत्र श्री बुनदू, निवासी-पीरान कलियर, रूड़की, जिला-हरिद्वार के द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-682केएल02582318, के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि यह विद्युत कनेक्शन भार 05 कि०वा० है। उक्त मीटर जुलाई 2024 के बाद से खराब हो गया था लेकिन विभाग ने जानबूझकर गलत एवरेज से बनाया है जिसको ठीक कराने के लिए अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में एक शिकायती प्रार्थना पत्र रिसीव कराया था लेकिन आज तक बिल ठीक नहीं किया गया। दिनांक 13.07.2024 में वर्तमान रीडिंग 7437 यूनिट रीडर ने भेजी थी। माह जुलाई 2024 की रीडिंग कंपनी की अपलोड फोटो से साफ एवं स्पष्ट है कि दिनांक 13.07.2024 को रीडिंग 7437 यूनिट लास्ट रीडिंग थी जिसके बाद मीटर खराब हुआ। विद्युत विभाग द्वारा नियामक आयोग के नियम के अनुसार जुलाई 2024 की 425 यूनिट खपत, जून 2024 की 474 यूनिट खपत व मई 2024 की 523 यूनिट के मासिक खपत एवरेज से आईडीएफ के बिल जारी करने थे। लेकिन विद्युत विभाग ने जानबूझकर कई वर्ष पहले के अत्यधिक एवरेज को चुन कर वहां से अक्टूबर 2023, सितम्बर 2023 व अगस्त 2023 के मासिक खपत एवरेज से बिल बनाया है जिसके अनुसार आईडीएफ के बिल 14 महीने के हैं जो सरासर गलत हैं। अगर इस तरह विभाग अपनी मर्जी से हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वाला यूनिट का एवरेज चुनकर आईडीएफ के बिल बनाए जाने लगे तो जिसका भी बिल विभाग बढ़ाना चाहे उसका बिल बढ़ा कर मनमानी कर सकता है और यदि मान भी लिया जाए कि अक्टूबर 2023 के बाद से मीटर रीडर फेक रीडिंग से बिल बना रहा था तो एस०डी०ओ० महोदय ने उससे बिल क्यों नहीं वसूला। जबकि महोदय वास्तव में 13.07.2024 की रीडिंग वास्तविक भेजी गई है जिसका रीडिंग कंपनी का सर्वर पर अपलोड होने वाला फोटो, उन्होंने फरवरी 2025 में हासिल कर लिया था। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल जुलाई 2024 के बाद से नियमानुसार आईडीएफ में ठीक करने और बिना लेट पेमेंट चार्ज लगाए बनवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 407 दिनांकित 28.05.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है शिकायतकर्ता द्वारा लिया गया 5 किलोवाट का घरेलू संयोजन संख्या-682केएल02582318, दिनांक 23.03.2021 को स्वीकृत कराया गया था। शिकायतकर्ता का विद्युत

क्रमशः.....02

मापक संख्या जी7904918 दिनांक 18.10.2023 के उपरान्त से डिफैक्टिव हो गया था। जिसे RAPDRP System के Billing Module के Old Bill Revision के माध्यम से पिछले 3 बीजक चक्रों क्रमशः अगस्त 2023, सितम्बर 2023 व अक्टूबर 2023 के मासिक खपत यूनिट्स 750, 666 व 335 के आधार पर आईडीएफ में निर्गत किया गया। उक्त की गणना अनुसार पिछले तीन बिलिंग चक्रों की मासिक औसत खपत यूनिट 584 के आधार पर दिनांक 18.10.2023 से 13.11.2024 तक की 13 माह की अवधि की कुल IDF/Assd Units 584x13 M= 7592 Units पर ही धनराशि रु०. 54748.00 के बीजक निर्गत हुये। तथा दिनांक 26.12.2024 को आईडीएफ पर प्रतिस्थापित किये गये नये विद्युत मापक की रीडिंग के अनुसार ही वर्तमान तक बीजक निर्गत किये गये हैं। जिसकी देय धनराशि दिनांक 13.05.2025 तक रु०. 40705.00 उपभोक्ता द्वारा भुगतान की जानी है।

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्रीमती अनिता उपस्थित हुई।

मंच द्वारा मौके पर उपस्थित पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 05.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 23.05.2021 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 13.07.2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 01.09.2024 से दिनांक 01.11.2024 तक एनआर आधार पर, दिनांक 01.12.2024 को आईडीएफ आधार पर, दिनांक 28.12.2024 को एमसी आधार पर, दिनांक 01.02.2025 को एनआर आधार पर, तदोपरांत दिनांक 12.03.2025 से दिनांक 13.05.2025 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, लगातार 02 बिलिंग चक्रों से अधिक बार एनआर/आईडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी करते हुए, मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें।

पत्रावली पर उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 20.04.2024 से दिनांक 13.07.2024 तक, लगभग 2.76 माह की अवधि में कुल 1458 (7473-6015) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 2.76 माह की अवधि में, 528 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 01.12.2024 को जारी बिल के अनुसार, दिनांक 18.10.2023 से दिनांक 13.11.2024 तक लगभग 13 माह की अवधि हेतु, कुल 7592 यूनिट की विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए विद्युत बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा उक्त 13 माह की अवधि हेतु 584 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 18.10.2023 से दिनांक 13.07.2024 तक की अवधि में, लगातार 09 बिलिंग चक्रों हेतु, एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर पूर्व में स्थापित मीटर संख्या-9157873 के दोषपूर्ण हो जाने पर, दिनांक 26.12.2024 को, मीटर संख्या-जी7904918 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 28.12.2024 को जारी बिल के अनुसार, दिनांक 01.12.2024 से दिनांक 28.12.2024 तक, लगभग 0.93 माह की अवधि हेतु, कुल 837 (852-15) यूनिट की विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए, विद्युत बिल जारी किया गया है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा उक्त 0.93 माह की अवधि हेतु, लगभग 900 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है जो कि उक्त 528 यूनिट प्रति माह की तुलना में 70.45 प्रतिशत अधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है।

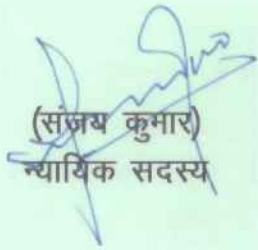
हिदम3धिम

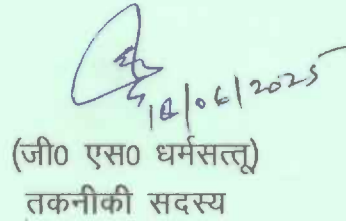
क्रमशः.....03

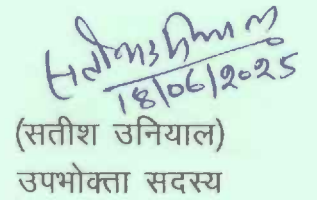
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 01.09.2024 से दिनांक 28.12.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 13.07.2024 से दिनांक 26.12.2024 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों के सापेक्ष दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 26.12.2024 से दिनांक 28.12.2024 तक की अवधि हेतु, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या-जी7904918 पर दर्ज विद्युत खपत-15 (15-0) यूनिट के आधार पर, संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 01.09.2024 से दिनांक 28.12.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 13.07.2024 से दिनांक 26.12.2024 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों के सापेक्ष दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 26.12.2024 से दिनांक 28.12.2024 तक की अवधि हेतु, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या-जी7904918 पर दर्ज विद्युत खपत-15 (15-0) यूनिट के आधार पर, संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 149 / 2025

दिनांक : 25.06.2025

परिवादी :- श्री दीपक कौशिक पुत्र श्री दशरथ कुमार, निवासी-सुमन नगर, सलेमपुर, बहादराबाद, ज्वालापुर, जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री दीपक कौशिक पुत्र श्री दशरथ कुमार, निवासी-सुमन नगर, सलेमपुर, बहादराबाद, ज्वालापुर, जिला-हरिद्वार के द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-जेडब्लू०के०००७९९९१०, के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि यह कनेक्शन उन्होंने अपनी फैंक्ट्री मै० जय श्री राम इण्डस्ट्रिज, वादी श्री दीपक कौशिक के नाम पर लिया हुआ है। यह कि उनका मीटर दिनांक 28.02.2025 को विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा शक के आधार पर उतारकर सील किया गया था। उपरोक्त दिनांक 28.02.2025 से ही उनका कार्य पूर्णतः बंद पड़ा है। जिसकी वजह से वह और उनका परिवार मानसिक एवं आर्थिक रूप से बहुत परेशान है, और बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इसकी सूचना कई बार मौखिक रूप से विद्युत विभाग के कार्यालय के अधिकारियों को दी है तथा लिखित शिकायत पत्र से भी विभाग को अवगत करवाया है परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस पर विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका मीटर लगवाकर विद्युत आपूर्ति चालू करवा दी जाए जिससे उनका रोजगार पुनः चल सके।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 3969 दिनांकित 10.06.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि दिनांक 28.02.2025 को उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, बहादराबाद द्वारा उपभोक्ता के परिसर पर विद्युत चैकिंग की गयी। जिसमें चैकिंग के दौरान सी०टी० की सील के तारों के साथ छेड़छाड़ कर रखी थी पाया गया है, जो कि विद्युत अधिनियम की धारा-135 के अन्तर्गत उपरोक्त कृत्य विद्युत चोरी की श्रेणी में आता है तथा खण्ड कार्यालय पत्रांक 3419 दिनांक 19.05.2025 के माध्यम से श्री दीपक कौशिक पुत्र दशरथ कौशिक, सलेमपुर, बहादराबाद को रू० 7524350.00 का नोटिस प्रेषित किया गया है। चूंकि उक्त प्रकरण विद्युत अधिनियम की धारा-135 के अन्तर्गत आता है जो की माननीय मंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

क्रमशः.....02

मंच के समक्ष परिवादी दीपक कौशिक तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तौमर उपस्थित हुए।

मंच द्वारा मौके पर उपस्थित पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

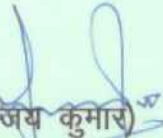
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 75.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 15.10.2019 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 05.02.2025 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात दिनांक 11.03.2025 से दिनांक 15.05.2025 तक एनआर आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 11.03.2025 को जारी बिल की धनराशि रू० 39708.00 के सापेक्ष, परिवादी द्वारा रू० 39708.00 का, भुगतान दिनांक 19.03.2025 को किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में स्थापित मीटर संख्या-59859एस को, दोषपूर्ण हो जाने के उपरांत दिनांक 31.05.2023 को, मीटर संख्या-5136539 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 28.02.2025 को निरीक्षण के दौरान, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन के मीटरिंग प्रणाली में छेड़छाड़ किया जाना प्रकाश में आया है। उक्त के परिपेक्ष्य में विपक्षी विभाग द्वारा, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-135 तथा 126 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश) विनियम, 2019 के अध्याय-3 के 3.1 (4) के अनुसार, विपक्षी विभाग द्वारा, विद्युत अधिनियम की धारा-135 तथा 126 के अंतर्गत की गई कार्रवाई के विरुद्ध, किसी भी शिकायत को सुने जाने का अधिकार, इस मंच के अधीन नहीं है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार न करते हुए खारिज किए जाने योग्य है।

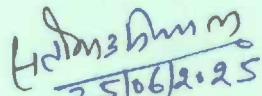
इसी क्रम में मंच द्वारा, दिनांक 30.05.2025 को जारी अंतरिम आदेश को तत्काल प्रभाव से खारिज/निष्प्रभावी किया जाता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद मंच क्षेत्राधिकार न होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 150/2025

दिनांक : 26.06.2025

परिवादी :- श्री विपिन कुमार पुत्र श्री धर्मवीर सिंह, निवासी-सुमन नगर, सलेमपुर, बहादुराबाद, ज्वालापुर, जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री विपिन कुमार पुत्र श्री धर्मवीर सिंह, निवासी-सुमन नगर, सलेमपुर, बहादुराबाद, ज्वालापुर, जिला-हरिद्वार के द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-जेडब्लू0के000195064, के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि यह कनेक्शन उन्होंने अपनी फैंक्ट्री मै0 ओम इन्टरप्राइजेज, वादी श्री विपिन कुमार के नाम पर लिया हुआ है। यह कि उनका मीटर दिनांक 28.02.2025 को विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा शक के आधार पर उतार कर सील किया गया था। उपरोक्त दिनांक 28.02.2025 से ही उनका रोजगार पूर्णतः बंद पड़ा है जिसकी वजह से वह और उनका परिवार मानसिक एवं आर्थिक रूप से बहुत परेशान है, और बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इसकी सूचना कई बार मौखिक रूप से विद्युत विभाग के कार्यालय के अधिकारियों को दी है तथा लिखित शिकायत पत्र से भी विभाग को अवगत करवाया है परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस पर विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका मीटर लगवाकर विद्युत आपूर्ति चालू करवा दी जाए, जिससे उनका रोजगार पुनः चालू हो सके।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 3968 दिनांकित 10.06.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि दिनांक 28.02.2025 को उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, बहादुराबाद द्वारा उपभोक्ता के परिसर पर विद्युत चैकिंग की गयी। जिसमें चैकिंग के दौरान सी0टी0 की तारों के साथ छेड़छाड़ कर रखी थी, पाया गया है, जो कि विद्युत अधिनियम की धारा-135 के अन्तर्गत, उपरोक्त कृत्य विद्युत चोरी की श्रेणी में आता है तथा खण्ड कार्यालय पत्रांक 3420 दिनांक 19.05.2025 के माध्यम से श्री विपिन कुमार पुत्र श्री धर्मवीर सिंह, सलेमपुर, बहादुराबाद को रू0 7524350.00 का नोटिस प्रेषित किया गया है। चूंकि उक्त प्रकरण विद्युत अधिनियम की धारा-135 के अन्तर्गत आता है जो की माननीय मंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

क्रमशः.....02

हरिद्वार

मंच के समक्ष परिवादी विपिन कुमार तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर उपस्थित हुए।

मंच द्वारा मौके पर उपस्थित पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 75.00 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 08.07.2021 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 03.02.2025 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात् दिनांक 11.03.2025 से दिनांक 15.05.2025 तक एनआर आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 11.03.2025 को जारी बिल की धनराशि रु० 53621.00 के सापेक्ष, परिवादी द्वारा रु० 53700.00 का, भुगतान दिनांक 26.03.2025 को किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में स्थापित मीटर संख्या—5136543 को, दोषपूर्ण हो जाने के उपरांत दिनांक 13.05.2024 को, मीटर संख्या—9628097 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 28.02.2025 को निरीक्षण के दौरान, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन के मीटरिंग प्रणाली में छेड़छाड़ किया जाना प्रकाश में आया है। उक्त के परिपेक्ष्य में विपक्षी विभाग द्वारा, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा—135 तथा 126 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी दिशा—निर्देश) विनियम, 2019 के अध्याय—3 के 3.1 (4) के अनुसार, विपक्षी विभाग द्वारा, विद्युत अधिनियम की धारा—135 तथा 126 के अंतर्गत की गई कार्रवाई के विरुद्ध, किसी भी शिकायत को सुने जाने का अधिकार, इस मंच के अधीन नहीं है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार न करते हुए खारिज किए जाने योग्य है।

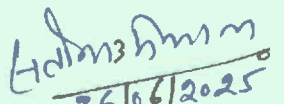
इसी क्रम में मंच द्वारा, दिनांक 30.05.2025 को जारी अंतरिम आदेश को तत्काल प्रभाव से खारिज/निष्प्रभावी किया जाता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद मंच क्षेत्राधिकार न होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं० 151/2025

दिनांक : 25.06.2025

परिवादी :- श्री रतन सिंह पुत्र श्री बिरवा सिंह, ग्राम-नया गाँव, लालढाँग, जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री रतन सिंह पुत्र श्री बिरवा सिंह, ग्राम-नया गाँव, लालढाँग, जिला-हरिद्वार के द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-6911331091510, के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि विगत जुलाई माह का बिल मात्र रु०. 371.00 था, जो कि उनके द्वारा विद्युत विभाग में जमा कर दिया गया था। उसके उपरान्त दो तीन महीने में ही बिल रु०. 62108.00 तक पहुँच गया। जिसकी शिकायत भूपतवाला स्थित विद्युत कार्यालय पर भी की गई परन्तु कोई हल नहीं निकला। अवगत कराना है कि वह एक गरीब जनजाति (बोक्सा) का सीमान्त कृषक है और ग्राम नया गाँव ग्रामसभा लालढाँग का निवासी है। उनके घर पर चार बल्ब व दो पंखे ही हैं। जिनका बिल पूर्व में औसतन रु०. 500.00 से 600.00 रुपये प्रतिमाह ही आता था लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बिजली मीटर ने जंप कर लिया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनकी उक्त शिकायत का निवारण कर विद्युत बिल को ठीक करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या 941 दिनांकित 06.06.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, भूपतवाला, हरिद्वार द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 310, दिनांक 06.06.2025 में अवगत कराया कि वादी श्री रतन सिंह पुत्र श्री बिरवा, ग्राम नया गाँव, पोस्ट लालढाँग, हरिद्वार के विद्युत संयोजन सं०-6911331091510 में माह 08/2024 में मीटर रीडिंग 359 थी, जिसमें कि अगले ही माह मीटर रिडर के द्वारा माह 09/2024 में मीटर यूनिट 8677 डाली गई जिसमें कि टीडीएस की साईड www.pragyaware.upcl.org पर मीटर यूनिट चैक किया गया, जिसमें पाया गया कि उपभोक्ता के परिसर पर मीटर यूनिट सही दर्शा रहा है। तबोपरान्त उपभोक्ता का माह 05/2025 में मीटर चेंज किया गया तब भी मीटर में यूनिट 9367 दिखा रहा है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री रतन सिंह तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री कमल राज नेगी उपस्थित हुए।

मंच द्वारा मौके पर उपस्थित पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 01.00 किलोवाट भार पर, दिनांक 12.03.2005 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा,

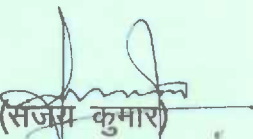
कमशः.....02

दिनांक 10.04.2025 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या-127692 को, दोषपूर्ण हो जाने के उपरांत, दिनांक 15.03.2024 को, मीटर संख्या-10217877 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। परिवादी द्वारा उक्त मीटर संख्या-10217877 के माध्यम से दिनांक 15.03.2024 से दिनांक 10.07.2024 तक, लगभग 3.83 माह की अवधि में कुल 359 (359-0) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा, उक्त 3.83 माह की अवधि में, 94 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 11.09.2024 को जारी बिल, दिनांक 10.08.2024 से दिनांक 11.09.2024 तक, लगभग एक माह की अवधि हेतु, कुल 8318 (8677-359) यूनिट की विद्युत खपत का जारी किया गया है जो कि उक्त 94 यूनिट प्रति माह की औसत विद्युत खपत की तुलना में, लगभग 8748.94 प्रतिशत अधिक है जो कि किसी भी दशा में, 01.00 किलोवाट विद्युत भार पर, संयोजित बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ता द्वारा, उक्त विद्युत खपत का उपभोग किया जाना, तकनीकी तथा व्यवहारिक दृष्टि से सही प्रतीत नहीं होती है। परिवादी द्वारा दिनांक 11.09.2024 से दिनांक 10.04.2025 तक लगभग 07 माह की अवधि में 690 (9367-8677) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 07 माह की अवधि में, लगभग 99 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 94 यूनिट प्रति माह की तुलना में सही प्रतीत होता है। उक्त से स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 10.07.2024 से दिनांक 10.04.2025 तक, मीटर संख्या-10217877 पर दर्ज, त्रुटिपूर्ण मीटर रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल जारी किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त मीटर संख्या-10217877 को, दोषपूर्ण हो जाने के आधार पर, दिनांक 08.05.2025 को, मीटर संख्या-जीयू155559 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

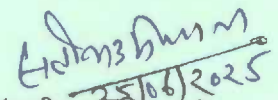
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 10.08.2024 से दिनांक 10.04.2025 तक, जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 10.07.2024 से दिनांक 08.05.2025 तक की अवधि हेतु, परिवादी के संयोजन पर तदसमय गतिमान मीटर संख्या-10217877 पर दिनांक 15.03.2024 से दिनांक 10.07.2024 तक की समयावधि (3.83 माह) में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत-94 यूनिट के आधार पर तथा दिनांक 08.05.2025 के पश्चात परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या-जीयू155559 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, विलंब अधिभार शुल्क रहित, संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को, दिनांक 10.08.2024 से दिनांक 10.04.2025 तक, जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 10.07.2024 से दिनांक 08.05.2025 तक की अवधि हेतु, परिवादी के संयोजन पर तदसमय गतिमान मीटर संख्या-10217877 पर दिनांक 15.03.2024 से दिनांक 10.07.2024 तक की समयावधि (3.83 माह) में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत-94 यूनिट के आधार पर तथा दिनांक 08.05.2025 के पश्चात परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या-जीयू155559 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, विलंब अधिभार शुल्क रहित, संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(सजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य